आयुर्ज्ञान के लिए आयुष मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना हेतु दिशानिर्देश

1. पृष्ठभूमि:

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,सिद्ध, सोवा रिग्पा एवंहोम्योपैथी मेंसमग्र उपचार की व्यवस्थाहै, जिसमें रोग निवारण, स्वास्थ्यवर्धन, रोगहर, स्वास्थ्य-सुधार तथा कायाकल्प संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। चिकित्सा शास्त्र की ये पद्धतियां सामान्यत: लागत प्रभावी तथा उपयोगी होती हैं, तथा विश्व स्तर पर इनकी ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चिकित्सा-शास्त्र की आयुष पद्धतियों का सदियों से प्रयोग किया जा रहा है, तथा स्वीकार्यता तथा अभ्यास की इन परम्पराओं का तभी से निरंतर प्रयोग किया जा रहा है।विश्व स्तर पर अधिकांश वर्गों के लोगों को चिकित्सा शास्त्र की आयुष पद्धतियों की जानकारी तथा लाभ का प्रचार करने की आवश्यकता है। मंत्रालय के पास आयुष शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दो पृथक योजनाएं हैं। अब, इन दोनों योजनाओं को मिलाकर एक ही योजना नामत: **"आयुर्ज्ञान योजना" के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है ताकि शैक्षणिक कार्यकलापों, प्रशिक्षण, क्षमता-वर्धन आदि के माध्यम से आयुष शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके।**

आयुष में क्षमता-वर्धन और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई)

क्षमता-वर्धन "उन दक्षताओं, सहज वृत्तियों, क्षमताओं, प्रक्रियाओं और संसाधनों के विकास और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया है जिन्हें संगठनों और समुदायों को तेजी से बदलते विश्व में जीवितऔर अनुकूल बनाए रखने और सतत विकास करने की जरूरत है।" बदलाव, क्षमता-वर्धन का आवश्यक घटक है जो समय-समय पर उत्पन्न और निरंतर होता है।

सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) योजना, 11वीं योजना में कार्यान्वित की गई थी और तब से चल रही है। इस योजना में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आयुष शिक्षकों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल और अन्य कार्मिकों को शामिल किया गया था। तथापि, वर्तमान परिदृश्य में उनकी पेशेवर सक्षमता और दक्षता का उन्नयन करने और उनकी क्षमता-वर्धन के लिए अभी भी निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। स्वास्थ्य देखभाल और वैज्ञानिक नतीजों की उभरती प्रवृत्तियों को देखते हुए यह जरूरी है कि शिक्षकों, चिकित्साभ्यासियों, अनुसंधानकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के पेशेवर ज्ञान में समय-समय पर वृद्धि की जाए। इस योजना की समग्र संरचना का लक्ष्य आयुष कार्मिकों को आवश्यकता-आधारित पेशेवर प्रशिक्षण पाने और ज्ञान अंतराल को पाटने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा, यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि सचिवों के सेक्ट्रल ग्रुप ने सिफारिश में आयुष कार्यबल के क्षमता-वर्धन का सुझाव दिया है।

<u>आयुष घटक में अनुसंधान और नवाचार</u>

आयुष (AYUSH), आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के प्रथम अक्षरों के मेल से बना है और इसमें विभिन्न विकारों और रोगों की रोकथाम और उपचार हेतु इन पद्धतियों में प्रलेखित और प्रयुक्त उपचार शामिल हैं। भारत में इन पद्धतियों के तहत शिक्षण और नैदानिक देखभाल के लिए व्यापक ढांचागत सुविधा उपलब्ध है। तथापि, इन उपचारों की वैज्ञानिक प्रमाणिकता अभी बड़े स्तर पर जी जानी है। तत्कालीन आयुष विभाग ने तीन दशक पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद एवं सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी और योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा के लिए गठित अनुसंधान परिषदों द्वारा शुरू किए गए **बहिर्वर्ती अनुसंधान** के अलावा **अंतर्वर्ती अनुसंधान** की योजना शुरू की थी। इस योजना की शुरुआत और इसके नतीजे अभी तक सीमित रहे हैं और इसे अभी वैज्ञानिक जांच और नतीजों के मानकों को प्रभावी ढंग से पूरा करना है। विभाग ने कार्यक्रमों/उपचारों की एक श्रृंखला शुरू की है जहां कारगरता के दावों के लिए प्रमाण-आधारित समर्थन की जरूरत है। उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और निरंतरता की भी बहुत अधिक जरूरत है। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में और पारंपरिक तथा हर्बल चिकित्सा के बढ़ते विश्व बाजार को देखते हुए, दवाओं, न्यूट्रास्यूटिकल्स, टॉयलेटरीज़ और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन औ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास की जरूरत है।

हर्बल उत्पादों के व्यापार में अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा है।विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी नगण्य है।इसलिए संशोधित बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजना को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है ताकि अनुसंधान निष्कर्षों से आयुष दृष्टिकोण और औषधियों के दावों और स्वीकार्यता का सत्यापन हो सके।

<u>2.</u> योजना का उद्देश्य

2.क. <u>आयुष में क्षमता-वर्धन और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई)</u>

i. आयुष स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में देश के स्तर पर घटक क्षमता का निर्माण, संवर्धन और विकास करना।
ii. आयुष के माध्यम से स्वास्थ्य पद्धतियों में सुधार करना जो टिकाऊ हैं।
iii. आयुष पेशेवरों को संगठित तरीके से आवश्यकता आधारित पेशेवर प्रशिक्ष और पेशेवर कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करना।
iv. शिक्षकों और चिकित्सकों के पेशेवर ज्ञान को अद्यतन करना ताकि वे क्रमशः अच्छी शिक्षण पद्धतियों और अच्छी नैदानिक पद्धतियों को अपना सकें।
v. आयुष संबंधी गतिविधियों और नई जानकारियों के व्यापक प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और वेब आधारित शिक्षा कार्यक्रमों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
vi. स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने के मानकों को बनाए रखने के लिए चिकित्सकों को स्वास्थ्य देखभाल के उभरते रुझानों और वैज्ञानिक परिणामों में प्रशिक्षित करना।
vii. चिकित्सकों को पेशेवर पत्रिकाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना ताकि उन्हें पेशेवर रूप से अद्यतन बनाए रखा जा सके।आयुष-सीएमई दिशानिर्देश।

viii. आयुष पैरामेडिक्स और स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पतालों और औषधालयों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आवधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।

ix. गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए आयुष संस्थानों और अस्पतालों के प्रशासकों के लिए स्वास्थ्य पहलुओं पर आवश्यकता आधारित प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

x. आयुष पद्धतियों के विकास के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों में वर्तमान रुझानों की अद्यतन जानकारी लेना और सहयोगात्मक सहयोग के लिए अनुसंधान के क्षेत्रों और अवसरों को उजागर करना।

xi. आयुष पद्धतियों आदि में विनियामक मुद्दों को संबोधित करने वाले नए अधिनियमों/सूचनाओं और अन्य सूचनाओं के बारे में अवगत कराना।

xii. आयुष अनुसंधान और शिक्षा के लिए वैज्ञानिक साक्ष्यों का मानकीकरण/सत्यापन और विकास करना।

xiii. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित परिणाम प्राप्त करने के लिए अंतःविषयक दृष्टिकोणों के साथ आयुष पद्धति की वैज्ञानिकता की जांच करना।

2.ख. **<u>आयुष घटक में अनुसंधान और नवाचार</u>**

i. प्राथमिकता वाले रोगों के लिए अनुसंधान और विकास (आर और डी) पर आधारित आयुष दवाओं का विकास;

ii. आयुष उत्पादों और पद्धतियों के लिए सुरक्षा, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण पर आंकड़ों का सृजन करना;

iii. आयुष दवाओं और उपचारों की प्रभावकारिता पर साक्ष्य आधारित समर्थन विकसित करना;

iv. शास्त्रीय ग्रंथों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और आयुष पद्धतियों के मौलिक सिद्धांतों की जांच करना;

v. कच्ची औषधियों और तैयार-शुदा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं में भारी धातुओं, कीटनाशक अवशेषों, माइक्रोबियल लोड, सुरक्षा/विषाक्तता आदि के आंकड़े जुटाना;

vi. आयुष का निर्यात बढ़ाने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) क्षमता वाले आयुष उत्पादों को विकसित करना;

vii. आयुष पद्धतियों में संभावित मानव संसाधन विकसित करना, विशेष रूप से आयुष पद्धतियों से संबंधित वैज्ञानिक रुझान और विशेषज्ञता पैदा करने के लिए;

viii. आयुष विभाग और अन्य संगठनों/संस्थानों के बीच संयुक्त अनुसंधान उद्यम विकसित करना।

3. आयुर्ज्ञानयोजना के मुख्य घटक

3.क. आयुष में क्षमता वर्धन और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई); और

3.ख. आयुष में अनुसंधान और नवाचार।

4. आयुष में क्षमता वर्धन और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) के उप घटक

(I) सीएमई कार्यक्रम:

क. आयुष शिक्षकों के लिए 6 दिवसीय विषय/विशेषता-विशिष्ट सीएमई कार्यक्रम।

ख. गैर-आयुष चिकित्सकों/वैज्ञानिकों के लिए आयुष पद्धतियों का 6 दिवसीय ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम (ओटीपी).

ग. आयुष पैरामेडिक्स/स्वास्थ्य कार्यकर्ता/प्रशिक्षकों/चिकित्सकों के लिए 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण।

घ. आयुष प्रशासकों/विभागाध्यक्षों/संस्थानों के प्रमुखों को प्रबंधन/आईटी में 3 दिवसीय/5 दिवसीय प्रशिक्षण।

ङ. आयुष चिकित्सा अधिकारियों/चिकित्साभ्यासियों या पृथकत: एवं आयुष सुविधाओं में नियोजित विषय-विशिष्ट लोगों के लिए 6 दिवसीय सीएमई कार्यक्रम।

च. सीएमई के पात्र सिद्धहस्त व्यक्तियों के लिए आयुष प्रशिक्षकों के लिए6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीओटी)।

छ. आयुष/एलोपैथी डॉक्टरों के लिए योग/प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षणों का 6 दिवसीय ओटीपी कार्यक्रम।

ज. विश्वविद्यालय विभागों के योग/प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षकों, राष्ट्रीय स्तर केप्रतिष्ठित संस्थानों और योग/प्राकृतिक चिकित्सा में पाठ्यक्रम संचालित करने वाले डिग्री कॉलेजों के लिए 6 दिवसीय सीएमई।

झ. क) आयुष चिकित्सकों/वैज्ञानिकों के लिए आयुष पद्धतियों की वैज्ञानिक समझ और उनके संवर्धन के लिए अनुसंधान एवं विकास के मौजूदा रुझानों,आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति और प्रौद्योगिकी का6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

ख) निम्नलिखित भावी उभरती प्रोद्योगिकियों के लिए 6 दिवसीय संवर्धन क्षमता-

- पुनरूद्धारक चिकित्सा, अगली पीढ़ी की सह-औषधि, क्वांटम प्रौद्योगिकियां और स्वास्थ्य देखभाल; और
- **नैनो-टेक्नालॉजी (जिसमें नैनोमेडिसिन और नैनोडिवाइसेस शामिल हैं), दवा के विकास में क्रांतिकारी बदलाव और जीनोमिक्स, प्रोटेओमिक्स, मेटाबोलोमिक्स आदि जैसे ओमिक्स उपकरणों को शामिल करना, जो उन्नत उपकरणों का उपयोग करके आयुष के क्षेत्र में ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।**

(II) **वेब-आधारित (ऑनलाइन) शैक्षिक कार्यक्रम**:

क. विभिन्न आयुष विशेषज्ञताओं में वेब-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास।

ख. व्यावसायिक ज्ञान के उन्नयन हेतु आयुष क्षेत्र में अद्यतन शिक्षा और अनुसंधान विकास के लिए वेब-आधारित समकक्ष पुनरीक्षित पत्रिकाओं को तैयार करना, विमोचन करना और संचालित करना।

(III) **संबंधित क्षेत्र की जानकारी रखने वाले संगठनों को सहायता:**

राष्ट्रीय संस्थानों की भांति उस क्षेत्र की जानेकारी रखने वाले संगठनों अर्थात राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ और अन्य विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों और प्रतिष्ठित संगठनों

को निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की जाएगी ताकि आयुष बिरादरी का हित हो सके:

क. प्रशिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम, मॉड्यूल, सीडी और संरचित कार्यक्रमों को विकसित करना;

ख. आयुष चिकित्सकों के लिए अभिनव सीएमई पाठ्यक्रमों को डिजाइन और विकसित करना;

ग. शिक्षण/अभ्यास में आयुष पद्धतियों के उपयोग के लिए आईटी इंटरफेस (सॉफ्टवेयर) विकसित करना;

घ. आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने और अंतर-विषयक संबंध विकसित करने के लिए प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में एक विशेष कक्ष/पीठ स्थापित करना।

ङ. प्रतिष्ठित आयुष संस्थानों में शिक्षकों के लिए निम्नलिखित विषयों पर अभिनव अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना:

(i) नैदानिक प्रलेखन और निदान के लिए एकीकृत प्रोटोकॉल,

(ii) समग्र प्रबंधन के आधार पर नैदानिक परीक्षणों के लिए सांख्यिकीय डिजाइन,

(iv) सीएमई के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं/सम्मेलन:

आयुष मंत्रालय द्वारा चिन्हित प्रतिष्ठित संगठनों/उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा किसी भी आयुष पद्धति की राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं/सम्मेलनों का आयोजन किया जा सकता है।ऐसी प्रत्येक कार्यशाला/सम्मेलन में आयुष/एलोपैथिक चिकित्सकों को ज्ञान/कौशल/सर्वोत्तम अभ्यास कराने के लिए एक खास विशेषज्ञता पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

(v) आयुष चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले प्रतिष्ठित संगठनों/संघों/मंचों को 50**निजी चिकित्साभ्यासियों के लिए** 2**दिवसीय विषय/विशेषज्ञता सीएमई आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता।**

5. आयुष में क्षमता वर्धन और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) के लिए पात्रता मानदंड:

उप घटकों-विशिष्ट प्रस्तावों के प्राप्त होने पर निम्नलिखित संस्थानों/संगठनों को उपरोक्त घटक के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी-

क. संस्थानों के लिए मानदंड: कम से 5 साल की स्थिति वाले संस्थान सीएमई कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

1. आयुष में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) आयोजित करने वाले संस्थान:
   - क. आयुष राष्ट्रीय संस्थान, आयुर्वेद और अन्य स्वास्थ्य विश्वविद्यालय।
   - ख. अन्य विश्वविद्यालयों में आयुष कॉलेज।
   - ग. आईसीएमआर, एम्स, एनआईएचएफडब्ल्यू, जेआईपीएमईआर आदि जैसे प्रसिद्ध संस्थान।
2. आयुष में शिक्षकों के लिए सीएमई आयोजित करने वाले संस्थान:
   - क. आयुष राष्ट्रीय संस्थान, विश्वविद्यालय।
   - ख. सीसीआईएम/सीसीएच मानदंडों के अनुसार संबंधित विषय में अवसंरचना, कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करने वाले पीजी संस्थान।

ग. यूजी कॉलेज जिसे आयुष विभाग द्वारा संबंधित परिषद के मानकों के तहत आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के मामले में छात्रों को कम से कम पिछले दो लगातार वर्षों मेंप्रवेश देने की अनुमति प्राप्त हो।

घ. आयुष क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले राष्ट्रीय ख्याति प्राप्तअन्य संस्थान/प्रतिष्ठान।

ङ. केंद्र/राज्य सरकार संसाधन प्रशिक्षण केंद्र या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जो आयुष शिक्षण संस्थान/अस्पताल के सहयोग से आयुष प्रशिक्षण शुरू करने में सक्षम हैं।

च. संबंधित विषय में विशेषज्ञता और ख्याति प्राप्त संस्थाएं/संगठन आदि।

3. आयुष में चिकित्सकों के लिए सीएमई आयोजित करने वाले संस्थान:

क. आयुष राष्ट्रीय संस्थान, विश्वविद्यालय।

ख. यूजी कॉलेज जिसे विभाग द्वारा संबंधित परिषद के मानकों के तहत छात्रों को कम से कम पिछले दो लगातार वर्षों में प्रवेश देने की अनुमति प्राप्तहो।

ग. केंद्र/राज्य सरकार संसाधन प्रशिक्षण केंद्र या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जो आयुष शिक्षण संस्थान/अस्पताल के सहयोग से आयुष प्रशिक्षण शुरू करने में सक्षम हैं।

घ. राज्य आयुष निदेशालय जो आयुष चिकित्सकों/पैरामेडिक्स/स्वास्थ्य कर्मियों को जिला/उप-जिला स्तरीय प्रशिक्षण देने में सक्षम हैं।

ङ. आयुष क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अन्य संस्थान/प्रतिष्ठान।

च. आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले प्रतिष्ठित संगठन/संघ/मंच जैसे एआईएसी, एनआईएमए आदि।

4.वेब आधारित कार्यक्रमों के रूप में आयुष में समकक्ष पुनरीक्षित पत्रिकाओं को तैयार करने और उनका संचालन करने वाले संस्थान:

क. सरकारी/निजी संस्थान/संगठन, विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय जिनके पास सक्षम आयुष संकाय और अन्य तकनीकी जनशक्ति है।

ख. कोई अन्य पंजीकृत निकाय जो लगातार तीन वर्षों सेसफलतापूर्वक वैज्ञानिक पत्रिका प्रकाशित कर रहा हो।

ग. आयुष मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठित स्नातकोत्तर शिक्षण/अनुसंधान संस्थान जो अंतर्वर्ती/बहिर्वर्ती/सहयोगी अनुसंधान में लगे हैं।

5. गैर-आयुष चिकित्सकों/वैज्ञानिकों और क्षमता वर्धन पाठ्यक्रमों के लिए आयुष में ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम(ओटीपी) आयोजित करने वाले संस्थान

क. आयुष और अन्य स्वास्थ्य विश्वविद्यालय

ख. राष्ट्रीय संस्थान, विश्वविद्यालय कॉलेज/आयुष मंत्रालय

ग. चयनित पीजी संस्थान।

घ. अनुसंधान परिषदों के चयनित केंद्रीय संस्थान।

ड़. आयुष विभाग वाले एलोपैथी संस्थान।

च. आयुष मान्यता प्राप्त संस्थान, अधिमानत: शिक्षण/अनुसंधान संस्थान जिनके पास प्रबुद्ध संकाय और अच्छी ऑडियो-वीडियो-इंटरनेट-सुविधाएं हैं।

6. आयुष और एलोपैथी चिकित्सकों के लिए योग और प्राकृतिक चिकित्सा में ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम(ओटीपी) आयोजित करने वाले संस्थान:

क. योग और प्राकृतिक चिकित्सा में राष्ट्रीय और सरकारी संस्थान।
ख. योग विभाग के साथ विश्वविद्यालय।
ग. निजी योग और/या प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, अधिमानत: शिक्षण/अनुसंधान संस्थान जो आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और जिनके पास प्रबुद्ध संकाय, नैदानिक/अनुसंधान इकाइयां हैं।

7. योग/प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षकों/प्रशिक्षकों/चिकित्सकों के लिए सीएमई कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थान।

क. योग और प्राकृतिक चिकित्सा के राष्ट्रीय और सरकारी संस्थान।
ख. योग विभाग के साथ विश्वविद्यालय।
ग. निजी योग और/या प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, अधिमानत: शिक्षण/अनुसंधान संस्थान जो आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और जिनके पास प्रबुद्ध संकाय, नैदानिक/अनुसंधान इकाइयां हैं।

8. आयुष शिक्षकों और चिकित्सकों को प्रबंधन प्रशिक्षण देने वाले संस्थान:

क. योग्य और अनुभवी स्टाफ वाले प्रतिष्ठित सरकारी/निजी प्रबंधन संस्थान।

9. आयुष पद्धतियों की वैज्ञानिक समझ और उनके संवर्धन के लिए अनुसंधान एवं विकास के मौजूदा रुझानों, आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति और प्रौद्योगिकी का 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और भावी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए क्षमता वर्धन कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थान।

क. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय के तहत अनुसंधान परिषद।
ख. ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानजो अनुसंधान और विकास गतिविधियों में लगे हैं और जिनके पास आईआईटी, आईआईएससी, बैंगलोर आदि जैसी पर्याप्त सुविधाएं हैं।
ग. ऐसे अन्य प्रतिष्ठित संस्थान जो मौलिक विज्ञान में अग्रिम अनुसंधान में लगे हैं।
घ. सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाएं जो जैव चिकित्सा या संबंधित क्षेत्र या प्रतिष्ठित फार्मा कंपनियों में काम कर रही हैं।

ख. सिद्धहस्त व्यक्तियों के लिए मानदंड:

1. शिक्षकों के लिए सीएमई:

i) जाने-माने शिक्षक/शोधकर्ता/चिकित्साभ्यासी जो आयुष केसंबंधित विषय/विशेषज्ञता में 10 वर्ष के शिक्षण/नैदानिक/अनुसंधान अनुभव के साथ स्नातकोत्तर योग्यतारखता हो और संप्रेषणमें दक्ष हो।
ii) प्रतिष्ठित प्रकाशनों का श्रेय रखने वालों को वरीयता।

iii) गैर-चिकित्सीय विषयों के मामले में, संबंधित क्षेत्र में 15 वर्ष के अनुभव के साथ पीजी योग्यता रखने वाले या जैव-विज्ञान, जैव-सांख्यिकीय आदि में 5 वर्ष के अनुभव के साथ पीएचडी की योग्यता रखने वाले।

2. चिकित्सकों के लिए सीएमई/ गैर-आयुष चिकित्सकों और वैज्ञानिकों के लिए आयुष में ओटीपी/आयुष और एलोपैथी चिकित्सकों के लिए योग और प्राकृतिक चिकित्सा में ओटीपी: ऐसे शिक्षक/निजी चिकित्साभ्यासी जो कम से कम 15 वर्ष के नैदानिक अनुभव के साथ स्नातक की डिग्री रखते हों और संबंधित विषय/विशेषज्ञता में ख्याति प्राप्त हों।

3. टीओटी: राष्ट्रीय संस्थानों और स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों, आयुष कॉलेजों के प्रमुख, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, आयुष मंत्रालय के तकनीकी अधिकारी और आयुष के वरिष्ठ, प्रख्यात चिकित्साभ्यासी।

4. पैरामेडिक्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/प्रशिक्षकों/चिकित्सकों के लिए सीएमई: ऐसे जाने-माने शिक्षक/शोधकर्ता/चिकित्साभ्यासी जो आयुष मेंसंबंधित विषय/विशेषज्ञता में5 वर्ष के शिक्षण/नैदानिक/अनुसंधान/नर्सिंग अनुभव के साथ पीजी योग्यता रखते हों और संप्रेषण में दक्ष हों।

5. प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम: प्रतिष्ठित संस्थानों के योग्य और अनुभवी संकाय।

6. आयुष पद्धतियों की वैज्ञानिक समझ और संवर्धन के लिए अनुसंधान और विकास में वर्तमान रुझानों, आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति और प्रौद्योगिकी में 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम:

ऐसे जाने-माने शिक्षक (अधिमानतः पीजी गाइड)/एएसयू एंड एच पद्धतियों के शोधकर्ताजिन्हें शिक्षण/अनुसंधानका कम से **5** साल का अनुभव हो।

ग. प्रशिक्षुओं के चयन के लिए मानदंड:

निम्नलिखित को प्राथमिकता दी जा सकती है:

i. प्रशिक्षु जिन्होंने सीएमई की कम संख्या में भाग लिया है।
ii. सेवा में वरिष्ठता के आधार पर प्रशिक्षु।

6. <u>फंडिंग पैटर्न</u>

परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित संस्थाओं/संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार प्रस्ताव के अनुमोदन पर संस्थान को कार्यक्रम के लिए निधि जारी की जाएगी:

(i)आयुष शिक्षकों/चिकित्सकों/वैज्ञानिकों के लिए 6 **दिवसीय सीएमई/क्षमता निर्माण कार्यक्रम**

क्र.सं.	विवरण	ग्राह्य धनराशि
1	बाहरी प्रशिक्षुओं का प्रति दिन का भोजन और आवास शुल्क (अधिकतम-7 दिन)	2400 रुपये प्रति व्यक्ति

2	स्थानीय प्रशिक्षुओं का प्रति दिन का भोजन शुल्क	350 रुपये प्रति व्यक्ति
3	बाहरी विशेषज्ञों काप्रति दिन का भोजन और आवास शुल्क (अधिकतम 2 दिन)	4100 रुपये प्रति व्यक्ति
4	स्थानीय विशेषज्ञों काप्रति दिन का भोजन शुल्क	350 रुपये प्रति व्यक्ति
5	बाहरी प्रशिक्षुओं का यात्रा व्यय	वास्तविक किराया या एसी 2 टियर क्लास तक का रेल किराया, जो भी कम हो।
6	बाहर के विशेषज्ञों का यात्रा खर्च	वास्तविक किराया या एसी 2 टियर क्लास तक का रेल किराया/इकोनॉमी क्लास हवाई किराया
7	सिद्धहस्त व्यक्तियों को मानदेय	2500 रुपये प्रति सत्र
8	मेजबान संस्थान के सहायक कर्मचारियों को मानदेय।	10000 रुपये, जो शामिल स्टाफ सदस्यों के बीच बांटे जाएंगे
9	प्रशिक्षण सामग्री	प्रति प्रशिक्षु/ सिद्धहस्त व्यक्ति 1000 रुपये तक
10	संस्थागत सहायता के लिए समेकित राशि	25,000 रुपये
11	आकस्मिकताओं के लिए समेकित राशि	25,000 रुपये
12	व्यावहारिक प्रदर्शनों में उपभोग्य सामग्रियों के लिए समेकित राशि	10,000 रुपये

कुल प्रावधान 10.00 लाख रुपये तक सीमित है।

(ii) पैरामेडिक्स/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/प्रशिक्षकों/चिकित्सकों के लिए 6 दिवसीय सीएमई:

क्र.सं.	विवरण	ग्राह्य धनराशि
1	बाहरी प्रशिक्षुओं का प्रति दिन का भोजन और आवास शुल्क (अधिकतम-7 दिन)	Rs.1550
2	स्थानीय प्रशिक्षुओं का प्रति दिन का भोजन शुल्क	300 रुपये प्रति व्यक्ति
3	बाहरी विशेषज्ञों का प्रति दिन का भोजन और आवास शुल्क (अधिकतम 2 दिन)	3150 रुपये प्रति व्यक्ति
4	स्थानीय विशेषज्ञों का प्रति दिन का भोजन शुल्क	300 रुपये प्रति व्यक्ति
5	बाहरी प्रशिक्षुओं का यात्रा व्यय	वास्तविक किराया या एसी 3टियर क्लास तक का रेल किराया, जो भी कम हो।
6	बाहर के विशेषज्ञों का यात्रा खर्च	वास्तविक किराया या एसी 2 टियर क्लास तक का रेल किराया/इकोनॉमी क्लास हवाई किराया
7	सिद्धहस्त व्यक्तियों को मानदेय	2000 रुपये प्रति सत्र
8	मेजबान संस्थान के सहायक कर्मचारियों को मानदेय।	7000 रुपये, जो शामिल स्टाफ सदस्यों के बीच बांटे जाएंगे
9	प्रशिक्षण सामग्री	प्रति प्रशिक्षु/ सिद्धहस्त व्यक्ति 500 रुपये तक
10	संस्थागत सहायता के लिए समेकित राशि	15,000 रुपये
11	आकस्मिकताओं के लिए समेकित राशि	15,000 रुपये
12	व्यावहारिक प्रदर्शनों में उपभोग्य सामग्रियों के लिए समेकित राशि	10,000 रुपये

कुल प्रावधान प्रति कार्यक्रम 7.00लाख रुपये तक सीमित है।

(iii) **सीएमई के पात्र सिद्धहस्त व्यक्तियों के लिए आयुष में 6 दिवसीयप्रशिक्षकप्रशिक्षण(टीओटी) कार्यक्रम:**

आयुष शिक्षकों के लिए सीएमई कार्यक्रम में लागू तरीके से मेजबान संस्थानों को सहायता दी जाएगी।प्रशिक्षुओं और सिद्धहस्त व्यक्तियों को पर द्वारा एसी2 टियर क्लास तक के रेल किराए/एयर इंडिया के अधिकतम इकोनॉमी क्लास तक के किराए परयात्रा करने की अनुमति है।आयुष शिक्षकों/चिकित्सकों/वैज्ञानिकों के सीएमई कार्यक्रम में लागू होने वाले अन्य व्यय के लिए सहायता दी जाएगी।

(iv) आयुष प्रशासकों/विभागों/संस्थानों के प्रमुखों को प्रबंधन/आईटी में 3 **दिवसीय/**5 **दिवसीय प्रशिक्षण:**

10.00लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता

पात्र संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों और प्रस्ताव में अनुमानित व्यय परियोजना मूल्यांकन समिति के मूल्यांकन के अध्यधीन होगा जिसके बाद परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।स्वीकृति समिति की सिफारिशों के अनुसार निधि जारी की

जाएगी।वित्तीय सहायता अनुकूलित सीएमई कार्यक्रमों में उल्लिखित विवरणों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

(v) वेब-आधारित (ऑन लाइन) शैक्षिक कार्यक्रम/ संबंधित क्षेत्र में जानकारी रखने वाले संगठनों को सहायता:

अधिकतम 2 साल के लिए 100.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता

पात्र संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों और प्रस्ताव में अनुमानित व्यय परियोजना मूल्यांकन समिति के मूल्यांकन के अध्यधीन होगा जिसके बाद परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।स्वीकृति समिति की सिफारिशों के अनुसार निधि जारी की जाएगी।

क्र.सं.	विवरण	धनराशि (रुपए लाख में)
1.	**सामग्री विकास + हार्डवेयर आवश्यकता**(कैमरा, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, एक्टिव स्पीकर (2-वे) प्रकार, माइक्रोफोन और अन्य आवश्यक हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर आदि) स्टोरेज हेतु हार्डवेयर (क्लाउड) या सर्वर एवं स्टोरेज की खरीद वेब पोर्टल का विकास	50.00 लाख रुपए तक
2.	प्री-प्रोडक्शन विशेषज्ञों की बैठकें, भोजन, आवास, टीए और मानदेय।	10.00 लाख रुपए तक
3.	श्रमशक्ति 2 सलाहकार (आईटी/डोमेन विशेषज्ञ) = 50000x12x2= 12,00,000 रुपये 1 वेब डेवलपर = 30,000x12x1= Rs.3,60,000/- 1कार्यालय सहायक/डीईओ = 20000x12x1= 2,40,000 रुपये	36.00 लाख रुपए तक
4.	आकस्मिक/विविध	4.00 लाख रुपए तक
	कुल	**100.00 लाख रुपए**

कुल प्रावधान प्रति परियोजना **100.00** लाख रुपये तक सीमित है।

(vi) सीएमई के लिए राष्ट्रीय स्तर की दो दिवसीय कार्यशालाएं/सम्मेलन:

10.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता

ऐसे आयुष राष्ट्रीय संस्थानों, आयुष और अन्य स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों, आयुष मान्यता प्राप्त संस्थानों/संगठनों, जिनके पास अच्छी ऑडियो-वीडियो-इंटरनेट-वीडियो कांफ्रेंसिंग-रिकार्डिंग और स्टूडियो सुविधाएं हैं साथ हीजनशक्ति और संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता है, को व्यय के ब्यौरे के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिनका मूल्यांकन और अनुमोदन स्वीकृति समिति द्वारा किया जाएगा। वित्तीय सहायता अनुकूलित सीएमई कार्यक्रमों में उल्लिखित विवरणों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

(vii) आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे प्रतिष्ठित संगठन/संघों/फोरम, जिन्हेंऐसे प्रशिक्षणों के आयोजन का कम से कम 5वर्ष का अनुभव है, को 50निजी चिकित्साभ्यासियों के लिए 2दिवसीय विषय-/विशेषज्ञता सीएमई आयोजित करने हेतु वित्तीय सहायता।

क्र.सं.	विवरण	ग्राह्य धनराशि
1	दो दिनों के लिए दोपहर का भोजन**,** नाश्ता और चाय	प्रति प्रशिक्षु प्रतिदिन **700** रुपये
2	सिद्धहस्त व्यक्तियों के लिए मानदेय	**2500** रुपये प्रति सत्र (कुल **8** सत्र)
3	सिद्धहस्त व्यक्तियों का यात्रा व्यय	वास्तविक किराया या एसी **2** टियर क्लास तक का रेल किराया**,** जो भी कम हो
4	संस्थागत समर्थन	**10,000** रुपये
5	आकस्मिकता	**15,000** रुपये

कुल प्रावधान प्रति कार्यक्रम 1.50 लाख तक सीमित है.

<u>योजना के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता</u>

क्र.सं;	
1.	02 परियोजना प्रबंधक/वरिष्ठ परियोजना परामर्शदाता (तकनीकी और प्रबंधन) (अर्थात एक के पास किसी आयुष पद्धति में डिग्री हो और दूसरे के पास एमबीए की डिग्री) साथ में 75,000 रुपये प्रतिमाह के पारिश्रमिक सहित न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव। *(परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए आयुष मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक/संशोधन)।*
2.	02 डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) जिनके पास स्नातक डिग्री और 03 साल का अनुभव है, अधिमानतः सरकारी क्षेत्र में20000 रुपये के पारिश्रमिक के साथ *(परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए आयुष मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक/संशोधन)।*

3.	5 प्रतिशत की दर से या आयुष मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि।

7. योजना घटकों हेतु आवेदन और उनके कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश:

इस योजना के तहत परिकल्पित विभिन्न कार्यक्रमों के समर्थन में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा:

i) इच्छुक संस्थान, आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की अनुसूची और विवरण देकर आवेदन कर सकते हैं।प्रशिक्षण के मॉड्यूल और सिद्धहस्त व्यक्तियों की सूची उनकी योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञता सहित आवेदन (संलग्नक-क) के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

ii) शिक्षकों/चिकित्सकों/पैरामेडिक्स प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सीएमई में न्यूनतम 20 प्रतिभागियों का नामांकन होना चाहिए लेकिन 30 से अधिक नहीं।मेजबान संस्था के एक से अधिक प्रशिक्षु कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे और वे प्रशिक्षण सामग्री और बोर्डिंग को छोड़कर किसी वित्तीय लाभ के हकदार नहीं होंगे।

iii) सभी चिकित्साभ्यासियों के पास संबंधित चिकित्सा अधिनियमों में निहित योग्यता होनी चाहिए।योग/प्राकृतिक चिकित्सा के मामले में, प्रशिक्षु विश्वविद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थानों और डिग्री कॉलेजों में कार्यरत नियमित शिक्षक होंगे और जिनके पास नियमित आधार पर न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होगा।

iv) आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त आयुष संस्थानों/अस्पतालों/औषधालयों में कार्यरत योग्य पैरामेडिक्स/अनुदेशक/चिकित्सक संबंधित सीएमई के लिए पात्र हैं।

v) सभी 6 दिवसीय सीएमई और अन्य एचआरडी कार्यक्रम लगातार छ: कार्य दिवसों में आयोजित किए जाएंगे।

vi) 6 दिवसीय सीएमई/टीओटी/ओटीपी के लिए वित्तीय सहायता 10.00 लाख रुपये तक सीमित है। 6 दिवसीय कार्यक्रम में 9.00 लाख रुपये का अग्रिम जारी किया जाएगा और खाते जमा करने के बाद, जरूरत के अनुसार शेष राशि जारी की जाएगी।

vii) पैरामेडिकल्स/योग और प्राकृतिक चिकित्सा कर्मियों (शिक्षकों के अलावा) के 6 दिवसीय सीएमई के मामले में, प्रति कार्यक्रम7.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता है। 600 लाख रुपये का अग्रिम जारी किया जाएगा और खाते जमा करने के बाद,जरूरत के अनुसार शेष राशि जारी की जाएगी।

viii) भागीदारी प्रमाण पत्र पूर्ण उपस्थिति पर ही जारी किया जाएगा।

ix) टीए और यात्रा डीए का भुगतान योजना की स्वीकार्यता या वास्तविक के अनुसार, जो भी कम हो,कार्यक्रम के अंत में ही किया जाना चाहिए।सिद्धहस्त व्यक्तियों को हवाई किराया देने के मामले में, एयर इंडिया के अधिकतम इकोनॉमी क्लास तक के किराए पर यात्रा करने की अनुमति है। जहां लागू हो, वरिष्ठ नागरिकों के लिए निर्धारित किराए का उपयोग किया जा सकता है।

x) सीएमई कार्यक्रम की अवधि में यात्रा का समय शामिल नहीं होगा।

xi) प्रशिक्षुओं को यात्रा के दौरान टीए और खाने के बिलों को छोड़कर किसी भी राशिका भुगतान नहीं किया जाएगा जो 300 रुपये से अधिक नहीं है। सिद्धहस्त व्यक्ति टीए और मानदेय के लिए पात्र हैं।

xii) आयुष चिकित्सकों के लिए सीएमई कार्यक्रमों में, निजी चिकित्सकों को भी कुल 30 प्रतिशत से अधिक की सीमा तक ही शामिल किया जा सकता है।

xiii) कार्यक्रम की अनुसूची तैयार करने के साथ अनुदान जारी करने के दो महीने के भीतर कार्यक्रम का संचालन शुरू होना चाहिए और प्रशिक्षुओं के मनोनयन के लिए इसे पहले से ही संस्थानों और राज्य निदेशालयों को परिचालित किया जाना चाहिए।

xiv) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्षेत्र में विशेषज्ञों का अनुभवात्मक ज्ञान, अनुसंधान निष्कर्ष, वर्तमान घटनाक्रम, शिक्षकों के लिए सीएमई में परीक्षा प्रणाली (पेपर सेटिंग, मूल्यांकन आदि) में सुधार पर शिक्षण पद्धति और प्रशिक्षण मॉड्यूल पर अधिक जोर और सीएमई कार्यक्रम के विषय से संबंधित वर्तमान रुझानों का मॉड्यूल में उल्लेख किया जाना चाहिए।

xv) सिद्धहस्त व्यक्ति: दिए गए मॉड्यूल के अनुसार 6 दिवसीय सीएमई/ओटीपी में संबंधित विशेषज्ञता के बारह विशेषज्ञ (एक ही कॉलेज/राज्य से चार और आठ बाहरी विशेषज्ञ)। आयुष मंत्रालय और अनुसंधान परिषदों के विशेषज्ञों को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार, जहां भी आवश्यक हो, बुलाया जाना चाहिए।

xvi) प्रशिक्षुओं को एक वर्ष में सीएमई के दो कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति है। प्रत्येक संसाधन व्यक्ति को वर्ष में अधिकतम चार सीएमई में भाग लेने की अनुमति है और प्रशिक्षुओं और संसाधन व्यक्तियों के मामले में प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि को सीसीआईएम/सीसीएच यात्राओं/निरीक्षणों के दौरान भी ड्यूटी पर और लागू माना जाना है।

xvii) सभी प्रकार के सीएमई के लिए प्रशिक्षु/संसाधन व्यक्ति किसी भी राज्य से लिए जा सकते हैं, बतौर वर्ष निर्धारित उपस्थिति की सीमा की शर्त के अधीन।

xviii) आयुष शिक्षण संस्थानों/अस्पतालों/राज्य निदेशालयों को संबंधित संस्थानों/रोगी देखभाल सुविधाओं में प्रशिक्षुओं का उपयोग सीएमई में प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त कौशल और आयुष सुविधाओं में तर्कसंगत तैनाती के माध्यम से भी करना चाहिए।

xix) किसी भी सरकारी संस्थान/विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रशिक्षुओं/संसाधन व्यक्ति को एक उपक्रम प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि यदि वे सीएमई कार्यक्रम से प्रतिपूर्ति कर रहे हैं तो वे सीएमई कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने संबंधित संस्थानों/विभागों से किसी भी टीए/डीए या किसी अन्य वित्तीय लाभ का दावा नहीं करेंगे ।

xx) राज्य सरकारों को आवश्यक अवसंरचना को सुसज्जित करने के लिए ऐसे निजी संस्थानों/अस्पतालों को अनुदान स्वीकृत करना चाहिए ताकि आयुष कामकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का उपयोग किया जा सके।

xxi) सीएमई कार्यक्रम की संरचना के रूप में के रूप में किया जाएगा-

(क).प्रत्येक दिन चार सत्र होंगे, जिसमें प्रत्येक सत्र ९० मिनट होगा । प्रत्येक सत्र में ऑडियो-विजुअल एड्स और 60 मिनट के व्यावहारिक प्रदर्शन/हाथों

पर प्रशिक्षण का उपयोग करके 30 मिनट का व्याख्यान होगा। चिकित्सा अधिकारियों को हाथों-हाथ प्रशिक्षण दिया जाएगा.

(ख) प्रत्येक बाहरी/आंतरिक विशेषज्ञ सीएमई में एक दिन में दो थ्योरी/प्रैक्टिकल सेशन डिलीवर करेगा ।

(ग)प्रत्येक सिद्धांत और व्यावहारिक सत्र के बाद आवश्यक स्पष्टीकरण/स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न और उत्तर दिए जाएंगे ।

(घ) कार्यक्रम की शुरुआत में सभी प्रतिभागियों को प्रस्तुतियों, सीडी आदि की पठन सामग्री और प्रतियां वितरित की जानी चाहिए ।

xiii) कार्यक्रम आयोजित करने के इच्छुक संस्थान मॉड्यूल डिजाइन कर सकते हैं और अनुमोदन के लिए आवेदन सहित इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। इन मॉड्यूलों में प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रशिक्षुकों का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। आयुष मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए पहले से तैयार मॉड्यूल/ पैकेज प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामलों में पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।

xiv) प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम, मेजबान संस्थान (संस्थानों) द्वारा तैयार किया जाएगा।

xv) वैब-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और/अथवा सीएमई पत्रिका/समस्तर समीक्षित पत्रिका तैयार करने और चलाने के इच्छुक संस्थानों द्वारा परियोजना क्रियान्वयन समय-सारणी और समय अवधि दर्शाते हुए पूरे तकनीकी और वित्तीय ब्यौरे के साथ प्रस्ताव भेजना अपेक्षित है।

xvi) नवाचारी पहल का प्रस्ताव योजना के विस्तार और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सभी तकनीकी और वित्तीय ब्यौरे के साथ तैयार किया जाना चाहिए।

xvii) सीएमई के अनुमोदन/अनुदान की संस्वीकृति तथा अनुमोदित कार्यक्रम/कार्यकलाप के क्रियान्वयन से पूर्व तथा संस्वीकृत मदों से इत्तर पर किया गया खर्च प्रतिपूर्ति के अधीन नहीं होगा।

xviii) व्यय की संस्वीकृत मदों के लिए पुनर्विनियोजन **20% से** अधिक नहीं होना चाहिए।

xix) संस्थाओं/विभागों/संगठनों के प्रमुख व्यय को योजना पैर्टन के अनुसार पूरा करेंगे।

xx) सीएमई कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थान/संगठन आवश्यक रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम की फोटो लें और उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेजों सहित आरएवी को प्रस्तुत करें।

xxi) परियोजना संस्वीकृत समिति विशेष श्रेणी के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार के साथ-साथ योग्यता अनुसार मामला दर मामला आधार पर अन्य मामलों में भी पात्रता मानदंड में छूट दे सकती है।

xxii) सीएमई कार्यक्रम के पूरा होने के बाद, अनुदान के भुगतान के लिए एक माह के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली को मेजबान संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर करके अनिवार्यत: प्रस्तुत किए जाने हैं।

(क) निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक-ख) में इस आशय का प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण पत्र कि जिस प्रयोजनार्थ अनुदान संस्वीकृत किया गया था उसके लिए; अथवा भारत सरकार की जीएफआर नियमावली के अनुसार उपयोग किया गया है।

(ख) निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक-ग) में लेखा परीक्षित लेखा विवरण, जिसमें सहायता अनुदान और निधियन पैर्टन के अनुसार मद-वार व्यय तथा प्रोद्भूत ब्याज, यदि कोई हो, दर्शाया गया हो;

(ग) इस आशय का प्रमाण पत्र कि संगठन ने इसी प्रयोजनार्थ केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग अथवा अन्य सरकारी/गैर सरकारी एजेंसी से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है;

(घ) उपलब्धि-सह-कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (संलग्नक-घ) जिसमें कार्य जिसके लिए अनुदान प्राप्त किया गया; तरीका जिस प्रकार उपयोग किया गया; और किस प्रकार अनुदान प्रतिभागियों/संस्थान के कार्य-निष्पादन में सुधार में सहायक हुआ, का उल्लेख किया गया हो;

(ङ) सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रत्येक प्रशिक्षुक से अलग से सीलबंद लिफाफे में प्रपत्र (संलग्नक-ड़) में फीडबैक रिपोर्ट;

(च) प्रशिक्षुकों का नाम व पता दर्शाने वाला विवरण जो संस्थान/कॉलेज के प्रमुख द्वारा सत्यापित होना चाहिए कि सभी प्रशिक्षुक पंजीकृत आयुष चिकित्साभ्यासी थे;

(छ) कार्यक्रम में भाग लेने वाले सिद्धहस्त व्यक्तियों के नाम व पतों सहित उनकी योग्यता, विषय में अनुभव आदि दर्शाने वाले जीवनवृत सहित एक विवरण ताकि जब कभी आवश्यकता हो, इनका उपयोग किया जा सके;

(ज) अनुदान की खर्च नहीं की गई राशि, यदि कोई हो, को वेतन एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आयुष मंत्रालय को वापस करनी होगी। ;

(झ) सभी मूल रसीदें/वाऊचर आयोजनकर्ता संस्थान को किसी प्रकार के लेखा परीक्षा जांच के लिए 5 वर्ष की अवधि तक रखने होगें।

xxxi) सचिव (आयुष) वित्तीय सलाहकार के परामर्श से योग्यता के आधार पर मामला दर मामला योजना के दिशा निर्देशों में किसी प्रकार की छूट की मंजूरी दे सकते हैं।

8. आवदेन किस प्रकार करे:

शिक्षकों/चिकित्सकों के लिए अनवरत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम अथवा अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन, प्रपत्र में भरकर किसी भी निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है-

निदेशक (सीएमई योजना)
आयुष मंत्रालय
भारत सरकार
आयुष भवन
बी-ब्लॉक,जीपीओ कॉम्प्लैक्स,
आईएनए, नई दिल्ली-110 023.

निदेशक
राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
धन्वंतरी भवन,
रोड नं-66,पंजाबी बाग (पश्चिम)
नई दिल्ली-110 026.
फोन. 011-25228548/25229753

ई-मेल: - ravidyapeethdelhi@gmail.com **एवं cme-ravdl@gov.in**

सीएमई से संबंधित पूरा विवरण www.ravdelhi.nic.in **और**www.ayush.gov.in **पर देखा जा सकता है।**

9. योजना के अंतर्गत प्राप्त सभी प्रस्ताव संयुक्त सचिव (आयुष)/सलाहकार की अध्यक्षता में आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों वाली परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा मूल्यांकन किए जाने के अधीन होंगे और तत्पश्चात विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु निम्नानुसार परियोजना संस्वीकृति समिति (पीएससी) को भेजे जाएंगे: -

परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी)

1. संयुक्त सचिव/सलाहकार (आयुष) - अध्यक्ष
2. संबंधित पद्धति के सलाहकार - सदस्य
3. योजना के प्रभारी निदेशक - सदस्य
4. निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ - सदस्य सचिव

परियोजना संस्वीकृति समिति (पीएससी)

1. सचिव (आयुष) - अध्यक्ष
2. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एफए) अथवा उसका नामिति - सदस्य
3. संयुक्त सचिव/सलाहकार (आयुष) - सदस्य
4. संबंधित पद्धति के सलाहकार - सदस्य
5. योजना के प्रभारी निदेशक - सदस्य
6. निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ - सदस्य सचिव

संलग्नक-क

आयुष के शिक्षकों/चिकित्सकों/पराचिकित्सकों अथवा गैर आयुष पद्धतियों के चिकित्सकों/वैज्ञानिकों के लिए-सीएमई/ओटीपी /अन्य कार्यक्रम हेतु आवेदन

1.	संस्थान का नाम	
2.	पता/ टेलीफोन नं./ फैक्स नं./ ई-मेल	
3.	संस्थान की प्रकृति	सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/निजी
4.	आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज: इस आशय का प्रमाण पत्र कि संगठन ने इसी प्रयोजन अथवा क्रियाकलाप के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग अथवा किसी गैर सरकारी संगठन से अनुदान प्राप्त नहीं किया है अथवा उसके लिए आवेदन नहीं किया है।	
5.	आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज (सोसायटी अधिनियम के तहत स्थापित निजी कॉलेजों के लिए): संगम नियमावली उपनियम, लेखों के लेखापरीक्षित विवरण, आय और व्यय के स्रोत और पैर्टन की प्रतियां इत्यादि।	
6.	स्थापना वर्ष	
7.	विभागों का विवरण	
8.	कार्यक्रम में भाग लेने वाले संस्थान के संकाय के विवरण सहित अर्हता, नियुक्ति की तारीख और विषय में अनुभव की अवधि (अलग से कागज पर लिखा जा सकता है)	
9.	ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन का पूर्व अनुभव (विवरण)	
10.	इस योजना के अंतर्गत पूर्व के अनुदानों, यदि कोई हो, का विवरण (आरओटीपी और सीएमई)	
11.	क्या पूर्व में प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को मंजूरी दी गई। यदि हां, तो प्रतियां संलग्न की जाएं।	
12.	क्या पूर्व में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार से किसी योजना के अंतर्गत कोई अन्य अनुदान प्राप्त किया था। यदि हां, तो उसका ब्यौरा। ऐसे अनुदानों के लिए क्या उपयोगिता प्रमाण पत्र और अन्य अपेक्षित दस्तावेज लंबित/देय है अथवा भेजे गए हैं।	
13.	कार्यक्रम की संख्या जिनके लिए आवेदन किया गया	
14.	कार्यक्रमों का विवरण अर्थात् विषय इत्यादि	
15.	विवरण सहित अपेक्षित राशि (अनुकूलित सीएमई कार्यक्रमों को छोड़कर	
16.	कार्यक्रम के संचालन के लिए विशेषज्ञों/सिद्धस्थ	

	व्यक्तियों के नाम के साथ-साथ उनकी वर्तमान तैनाती, जन्म तिथि और विषय, जिसके लिए आमंत्रित किया गया है, में योग्यता और अनुभव, टेलीफोन नं., ई-मेल, मोबाइल आदि सहित प्रस्तावित सीएमई का मॉड्यूल (अलग से कागज पर लिखा जा सकता है)	

संस्थान/संघ/संगठन के प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम: _____

पदनाम _____

डाक पता_____

टेली./फैक्स नं. एवं ई-मेल_____

मोबाईल नं._____

संलग्नक-ख

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है किदिनांक..... के संस्वीकृति पत्र संख्या ..... द्वारा..... के पक्ष में वर्ष ....., के दौरान ..... रुपए (केवल .....रुपए) संस्वीकृतसहायता अनुदान के अग्रिम में से ..... रुपए (केवल.....रुपए) की राशि का उपयोग..... पर सीएमई आयोजित करने के लिए किया गया जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया था।

प्रमाणित किया जाता है कि हमने संतुष्टि कर ली है कि जिन शर्तों पर अनुदान सहायता संस्वीकृत की गई थी उन्हें विधिवत पूरा कर लिया गया है/पूरा किया जा रहा है और हमने निम्नलिखित जांच की है ताकि पता लग सके कि राशि का उपयोग वास्तव में उस प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया था। संस्थान ने योजना से किसी प्रकार का विचलन नहीं किया है।

की गई जांच के प्रकार

1. अलग-अलग वाऊचरों की जांच।
2. खर्चों के लेजर खाते की जांच।
3. यह देखने के लिए की राशि का वास्तव में भुगतान किया गया है, कैश पुस्तिका और बैंक पुस्तिका की जांच।
4. किए गए कुल वितरण की जांच।
5. जांच की गई कि भुगतान संबंधित उपर्युक्त कार्यक्रमों के संबंध में है।
6. सभी दस्तावेजों की जांच।
7. भुगतान की सूची तैयार की गई (संलग्नक के अनुसार)।

यह प्रमाण पत्र हमारे सामने प्रस्तुत की गई पुस्तकों और रिकार्डों के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार जारी किया गया है।

संस्थान के प्रमुख के हस्ताक्षर और सील

(स्याही में)

दिनांक:

नाम:

चार्टेड अकाउंटेंट/सरकारी लेखा परीक्षक

(स्याही में)

दिनांक:

नाम:

कंपनी की पंजीकरण संख्या

हस्ताक्षरकर्ता सीए की सदस्यता संख्या

संलग्नक-ग

खातों का विवरण

संस्थान का नाम:

कार्यक्रम का नाम: सीएमई/ओटीपी/..... कार्यक्रम

संस्वीकृति आदेश संख्या और तिथि:

कार्यक्रम की तिथियां:

क्र.सं.	**विवरण**	**खर्च**
1.	बाहर से आए प्रशिक्षुकों का आवास और भोजनपर खर्च	
2.	स्थानीय प्रशिक्षुकों के लिए आवास	
3.	बाहर से आए विशेषज्ञों का आवास और भोजनपर खर्च	
4.	स्थानीय विशेषज्ञों के लिए आवास	
5.	प्रशिक्षुकों का यात्रा खर्च	
6.	बाहर से आए विशेषज्ञों का यात्रा खर्च	
7.	सिद्धस्थ व्यक्तियों को मानदेय	
8.	मेजबान संस्थान के सहायक स्टाफ को मानदेय	
9.	प्रशिक्षण सामग्री पर खर्च	
10.	संस्थानिक सहायता के लिए समेकित राशि	
11.	आकास्मिक के लिए समेकित राशि	
12.	व्यवहारिक प्रदर्शन के लिए उपभोग्य हेतु समेकित राशि (जहां लागू हो)	
	योग	
	प्रयोग नहीं किया गया अनुदान, यदि कोई हो	

संस्थान के प्रमुख के हस्ताक्षर और सील

(स्याही में)

दिनांक:

नाम:

चार्टेड अकाउंटेंट/सरकारी लेखा परीक्षक

(स्याही में)

दिनांक:

नाम:

कंपनी की पंजीकरण संख्या

हस्ताक्षरकर्ता सीए की सदस्यता संख्या

संलग्नक-घ

उपलब्धि-सह-कार्यनिष्पादन रिपोर्ट

इस संस्थान को वर्ष ..... के दौरान ..... विषय पर .....को आयोजित ..... दिवसीय शिक्षक के सीएमई/चिकित्सकों के लिए सीएमई/प्रबंधन कार्यक्रम का एक कार्यक्रम संस्वीकृत किया गया था।

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक ..... के पत्र संख्या..... द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के पक्ष में दिनांक ..... के डिमांड ड्रॉफ्ट संख्या ..... के माध्यम से ..... रुपए (.....रुपए) संस्वीकृत और जारी किए गए थे। अग्रिम में से ..... रुपए (.....रुपए) की राशि उस प्रयोजनार्थ उपयोग की गई जिसके लिए संस्वीकृत की गई थी और ..... रुपए (.....रुपए) की शेष राशि दिनांक..... के डिमांड ड्रॉफ्ट संख्या ..... के माध्यम से भेजी गई। भुगतान करने में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार उचित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया:

उपलब्धि-सह-कार्यनिष्पादन के संदर्भ में कार्यक्रम का परिणाम निम्नानुसार है:-

1. जिस प्रकार इसका उपयोग किया गया : -

2. अनुदान द्वारा प्रतिभागियों/संस्थान के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने में किस प्रकार सहायता मिली।

हस्ताक्षर और सील
(संस्थान के अध्यक्ष)

संलग्नक-ड.

गोपनीय

फीड-बैक

(प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुक द्वारा भरा जाए और बाद में सील बंद लिफाफे में आयोजनकर्ता संस्थान को दिया जाए)

क्र.सं.	विवरण	
1.	संस्थान का नाम और पता:	
2.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	
3.	प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि	सेतक
4.	भाग लेने वाले प्रशिक्षुकों की संख्या	
5.	कार्यक्रम की उपयोगिता	बेहद उपयोगी/उपयोगी/प्रासंगिक नहीं
6.	संस्थान में उपलब्ध अवसंरचना: (संबंधित विभाग में जहां सीएमई आयोजित की गई):	
7.	कार्यक्रम का स्थान (हॉल, हवादार, रोशनी आदि का ब्यौरा):	
8.	श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग, क्या पर्याप्त था?	
9.	क्या समय सारणी का पालन किया गया?	
10.	क्या व्यवहारिक प्रदर्शन आयोजित किया गया/व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्रदान किया गया (जहां लागू हो):	
11.	**सिद्धहस्त व्यक्तियों का मूल्यांकन**	

क्र.सं.	संकाय/सिद्धस्थ व्यक्तियों के नाम	विषय और विषय वस्तु की प्रासंगिकता	अभिव्यक्ति/प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता स्कोर (0-10)	प्रयोज्यता	दी गई कोई नई सूचना	संकाय का समग्र मूल्यांकन स्कोर (0-10)
i)						
ii)						
iii)						
iv)						
v)						
vi)						
vii)						

viii)						
ix)						
x)						
xi)						
xii)						

संकाय, प्रस्तुतीकरण आदि पर कोई विशेष टिप्पणी/सुझाव:	
12. आवास और अन्य सुविधाओं के लिए व्यवस्था	
13. कमियां, यदि कोई हो:	
14. भविष्य में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए कोई सुझाव	
15.पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का समग्र मूल्यांकन (उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/औसत/खराब):	
16. कार्यक्रम में भाग लेने के बाद ज्ञान में वृद्धि हुई।	हां/नहीं

प्रशिक्षुक के हस्ताक्षर..........................

नाम ....

पूरा डाक पता................................

....

....

ई-मेल: ....

फोन/मोबाइल: ....

नोट: कोई भी प्रशिक्षुक आयोजनकर्ता संस्थान को फीड-बैक प्रपत्र में भरकर भेजने के साथ-साथ कोई टिप्पणी/सुझाव निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, धन्वतंरी भवन रोड नं. 66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली-110026 को डाक द्वारा भेज सकता है अथवा ravidyapeethdelhi@gmail.comपर ई-मेल कर सकता है।

संलग्नक-च

एजेंसी पंजीकरण प्रपत्र

1	पंजीकरण का प्रकार:	
	1. केंद्रीय सरकार 2. केंद्रीय सरकार पीएसयू 3. राज्य सरकार पीएसयू 4. सांविधिक निकाय 5. स्थानीय निकाय 6. न्यास 7. पंजीकृत सोसाइटी (एनजीओ) 8. निजी क्षेत्र की कंपनियां 9. पंजीकृत सोसाइटी (सरकारी स्वायत्त निकाय) 10. व्यक्तिगत 11. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	
2	संगठन का नाम:	
3	पंजीकरण की तिथि (तिथि/माह/वर्ष):-	
4	पंजीकरण की संख्या अथवा अधिनियम:-	
5	पंजीकरण प्राधिकरण:	
6	पंजीकरण का राज्य (राज्य का नाम):	
7	टीआईएन/टीएएन संख्या:	
8	पता पंक्ति 1: पता पंक्ति 2: पता पंक्ति 3:	
9	शहर:	
10	राज्य:	
11	जिला:	
12	पिन कोड:	
13	संपर्क व्यक्ति: निदेशक / डीन / प्राध्यापक / कोई अन्य (निर्दिष्ट करें)	
14	संपर्क व्यक्ति का नाम:-	
15	फोन:	
16	मोबाइल नं.:	
17	फैक्स:	
18	ईमेल:	
19	युनीक एजेंसी कोड:	
20	योजना:	
21	बैंक का नाम (निर्दिष्ट करें):	
22	पता:	
23	शाखा:	

24	खाता संख्या	
25	बैंक के अनुसार संगठन का नाम	
26	एमआईसीआर कोड:	

प्राध्यापक/निदेशक/डीन के हस्ताक्षर मुहर सहित

संलग्नक-छ

जांच सूची
(उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते समय आवश्यक विवरण)

क्र.सं.	दस्तावेज		
		हां	नहीं
1	**प्रपत्र के अनुसार प्रमाणित उपयोगिता प्रमाणपत्र**		
क	संस्वीकृति संख्या और तिथि		
ख	चार्टेड अकाउंटेंट की सदस्यता संख्या		
ग	संस्थान के प्रमुख और चार्टेड अकाउंटेंट/सरकारी लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर		
घ	कार्यक्रम की तिथि		
2	**लेखा का विवरण**		
क	प्रशिक्षुकों के लिए आवास और भोजन		
ख	सिद्धस्थ व्यक्तियों के लिए आवास और भोजन		
ग	सिद्धस्थ व्यक्तियों के लिए मानदेय		
घ	सहायक स्टॉफ के लिए मानदेय		
ड.	प्रशिक्षण सामग्री		
च	संस्थानिक सहायता के लिए समेकित राशि		
छ	आकास्मिक के लिए समेकित राशि		
ज	व्यवहारिक प्रदर्शन में उपभोग्य के लिए समेकित राशि		
झ	व्याख्यानों की गुणवत्तायुक्त श्रव्य दृश्य रिकार्डिंग		
ञ	संस्थान के प्रमुख और चार्टड अकाउंटेंट/सरकारी लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर		
3	**इस आशय का प्रमाण पत्र की संगठन ने इसी प्रयोजन के लिए केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग किसी सरकारी एजेंसी से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है (विभाग/संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर)**		
4	**उपलब्धि-सह-कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (विभाग/संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर)**		
5	**संलग्न प्रपत्र के अनुसार फीड-बैक रिपोर्ट**		
6.क	**प्रशिक्षुक का नाम व पता दर्शाने वाला विवरण (विभाग/संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर)**		
6.ख	**संस्थान द्वारा प्रमाण पत्र कि सभी प्रशिक्षुक सीसीआईएम/सीसीएच के तहत पंजीकृत है। (विभाग/संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर)**		
7	**सिद्धहस्त व्यक्तियों की सूची सहित उनके पते जो संस्थान के प्रमुख द्वारा प्रमाणित हो। (विभाग/संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर)**		

8	प्रशिक्षुकों को दी गई पठन सामग्री, हार्ड काफी और सीडी (विभाग/संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर)		
9	प्रमाण पत्र कि सभी भुगतान मूल टिकटों को प्रस्तुत करने पर किए गए हैं। (विभाग/संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर)		
10	अनुदान की खर्च नहीं की गई राशि, यदि कोई हो, को लेखा अधिकारी, रोकड़ (स्वास्थ्य) के पक्ष मे डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में नई दिल्ली में देय आयुष मंत्रालय को वापस लौटा दी जाए।		

GUIDELINES FOR CENTRAL SECTOR SCHEME FOR AYURGYAN

1. Background of the Scheme

Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha, Sowa-Rigpa and Homoeopathy (AYUSH), offer a wide range of holistic treatments covering preventive, promotive, curative, rehabilitative and rejuvunatary needs. These systems of medicine are generally cost effective and valuable and attracting increasing attention globally. AYUSH systems of medicine are being used for centuries and have continuous traditions of acceptance and practice. There is a need for spreading the knowledge; benefits of AYUSH system of medicines to the large section of the peoples across the globe. The Ministry has two separate schemes for the promotion of AYUSH's education and Research. Now, it is proposed to merge both schemes under one umbrella scheme namely "**AYURGYAN Scheme**" to **support Education, Research & Innovation in AYUSH by providing academic activities., training, Capacity Building etc**.

Capacity Building and Continuing Medical Education (CME) in AYUSH

Capacity-building is the "process of developing and strengthening the skills, instincts, abilities, processes and resources that organizations and communities need to survive, adapt, and thrive in a fast-changing world. The essential ingredient in capacity-building is transformation that is generated and sustained over time.

The scheme of Continuing Medical Education (CME) was implemented in 11th Plan and has continued since then, the scheme covered maximum number of AYUSH teachers, doctors, paramedical and others personnel. However, in the current scenario, there is still a need for continuing the training for upgrading their professional competence & skills and their capacity building. Emerging trends of healthcare and scientific outcomes necessitate time to time enhancement of professional knowledge of teachers, practitioners, researchers and other professionals. The overall structure of the Scheme is aimed at encouraging AYUSH personnel to undergo need-based professional training and bridge the knowledge gaps.

Furthermore, it is pertinent to mention here that the Sectoral Group of Secretaries in the recommendation has suggested for Capacity building of AYUSH workforce.

Research and Innovation in AYUSH Component

AYUSH is the acronym for Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy and includes therapies documented and used in these Systems for the prevention and cure of various disorders and diseases. India has a large infrastructure for teaching and clinical care under these Systems. The scientific validation of these therapies, however, still remains to be done on a wider scale. The then Department of AYUSH has introduced a Scheme for **Extra-Mural Research** in addition to the **Intra-Mural Research** undertaken by the Research Councils for Ayurveda and Siddha, Unani, Homoeopathy and Yoga and Naturopathy set up by the Ministry of Health and Family Welfare three decades ago. The off take and output from this scheme has so far been limited and has yet to meet the standards for scientific enquiry and outcome effectively. The Department has taken up a series of programs/interventions wherein evidence based support for the efficacy claims is needed. Safety, quality control and consistency of products are also very much required. In the present era of globalization and development of a world market for traditional and herbal medicine, research and development is needed to promote the production and export of quality products in the form of drugs, neutraceuticals, toiletries and cosmetics.

There is an intense competition from other countries in the trade of herbal products. India's share in the world market is negligible. The revised extra-mural research project has, therefore, been designed to encourage R and D in priority areas so that the research findings lead to validation of claims and acceptability of the AYUSH approach and drugs.

2. Objective of the Scheme

2.A. Capacity Building and Continuing Medical Education (CME) in AYUSH

i. To create, enhance and develop constituent's capacity at country level in the AYUSH health care sector.
ii. To improve health practices through AYUSH which are sustainable.
iii. To encourage AYUSH professionals to undergo need-based professional orientation and professional skill development in an organized manner.
iv. To update the professional knowledge of teachers and doctors to adopt good teaching practices and good clinical practices respectively.
v. To encourage the use of Information technology and web-based education programmes for widespread dissemination of AYUSH developments and updates.
vi. To train doctors in emerging trends of healthcare and scientific outcomes for keeping up the standards to health care delivery.
vii. To provide information to doctors on professional journals to keep them professionally updated. AYUSH-CME Guidelines.
viii. To encourage AYUSH paramedics and health workers to undergo periodical training for improving healthcare services in hospitals and dispensaries.
ix. To arrange need-based management training programmes to administrators of AYUSH institutions and hospitals on health aspects for delivering quality services.
x. To update regarding current trends in R & D activities for development of AYUSH systems and highlight the areas of research and avenues for collaborative activates.
xi. To apprise regarding new Acts/Notifications and other information addressing regulatory issues in AYUSH systems etc.
xii. To Standardize/validate and develop scientific evidence for AYUSH' s research and Education;
xiii. To make scientific exploration of AYUSH system with interdisciplinary approaches; to achieve need based outcome in priority areas;

2.B. Research and Innovation in AYUSH Component

i. Development of Research and Development (R & D) based AYUSH Drugs for prioritized diseases;
ii. To generate data on safety, standardization and quality control for AYUSH products and practices;
iii. To develop evidence based support on the efficacy of AYUSH drugs and therapies;
iv. To encourage research on classical texts and investigate fundamental principles of AYUSH Systems;
v. To generate data on heavy metals, pesticide residues, microbial load, safety/toxicity etc. in the raw drugs and finished Ayurveda, Siddha, Unani and Homoeopathy drugs;
vi. To develop AYUSH products having Intellectual Property Rights (IPR) potential for increasing AYUSH exports
vii. To develop the potential Human Resource in AYUSH systems, especially to inculcate scientific aptitude and expertise relating to AYUSH systems;
viii. To develop joint research venture among the AYUSH Department and other Organizations/Institutes.

3. MAIN Components of AYURGYAN Scheme

3.A. Capacity Building and Continuing Medical Education (CME) in AYUSH &

3.B. Research and Innovation in AYUSH

4 Sub Components of Capacity Building and Continuing Medical Education (CME) in AYUSH

(I) CME programmes:

a. 6-days subject-/specialty-specific CME programme for AYUSH teachers.

b. 6-days Orientation Training programme (OTP) of AYUSH systems for non-AYUSH doctors/scientists.

c. 6-days specialized training for AYUSH Paramedics/ Health workers / Instructors / Therapists.

d. 3-days/5-day training in Management/ IT to AYUSH administrators/heads of departments/institutions.

e. Theme-specific 6-days CME programme for AYUSH medical officers/practitioners or those deployed in stand-alone and co-located AYUSH facilities.

f. 6-day Training of Trainers programme (ToT) in AYUSH for eligible resource persons of CMEs.

g. 6-days OTP programme Yoga/Naturopathy training for AYUSH/allopathy doctors.

h. 6-days CME for Yoga/Naturopathy Teachers of university departments, institutes of repute at national level and degree colleges conducting courses in Yoga/Naturopathy.

i. a) 6-days training programme in current trends in R&D, modern scientific advances & technology for scientific understanding and promotion of AYUSH systems for AYUSH doctors/scientists.

b) 6- day Building Capacity for future emerging technologies like-

- Regenerative medicine, Next Generation Adjuvant, Quantum technologies and healthcare; and
- **Nanotechnology (comprising nanomedicine and nanodevices), revolutionizing drug development and involving OMICS tools such as Genomics, Proteomics, Metabolomics, etc. which may help in advancing knowledge in the field of AYUSH using advanced tools**

(II) Web-based (on-line) educational programmes:

a. Development of web-based training programmes in various AYUSH specialties.

b. Preparation, launch and running of web-based Peer Reviewed journals for up-to-date education and research developments in AYUSH sector for up-gradation of professional knowledge.

(III) **Support to organizations having domain knowledge:**

Organizations having domain knowledge like the National Institutes viz., Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth and others universities/deemed universities and reputed organizations will be supported for the benefit of AYUSH fraternity for the following:

a. To develop training material, courses, modules, CDs and structured programmes;

b. To design and develop innovative CME courses for AYUSH practitioners;

c. To develop IT interface (software) for use of AYUSH systems in teaching/practice;

d. To establish a special cell/chair in reputed universities for promotion of AYUSH systems and developing inter-disciplinary linkages.

e. To conduct innovative short term training programme for teachers at reputed AYUSH institutions on subjects as under-

   (i) Integrated protocols for clinical documentation and diagnosis,

   (ii) Statistical design for clinical trials based on holistic management,

(iv) Two-days National Level Workshops/ Conferences for CME:

National level workshops/ conferences of any AYUSH systems can be organized by reputed organizations/Centres of Excellence identified by Ministry of AYUSH. Each such workshop/ conference shall focus on a particular specialty for imparting knowledge/ skills/ best practices to AYUSH/ Allopathic practitioners.

(v) Financial assistance to reputed organizations/associations/forums working for the promotion of AYUSH systems of medicine for holding 2-day subject-/specialty CME for 50 private practitioners.

5. ELIGIBILITY CRITERIA FOR CAPACITY BUILDING AND CONTINUING MEDICAL EDUCATION (CME) IN AYUSH:

Financial assistance under the above component will be provided to the following Institutions/ Organizations on receipt of sub components-specific proposals.

A. Criteria for institutions: Institutions having at least 5 years of standing are eligible to apply for CME programmes.

1. Institutions for holding Training of Trainers (ToT) in AYUSH:
   a. AYUSH National Institutes, Ayurveda and other Health Universities.
   b. Colleges of AYUSH in other universities
   c. Renowned institutions like ICMR, AIIMS, NIHFW, JIPMER etc.

2. Institutions for holding CME for teachers in AYUSH:
   a. AYUSH National Institutes, Universities.
   b. PG Institutions fulfilling infrastructure, staff requirement in concerned subject as per, CCIM/CCH norms.
   c. UG College permitted by the AYUSH department under concerned council norms to admit students at least for the last two continuous years in case of Ayurveda, Unani, Siddha and Homoeopathy.
   d. Other Institutes/establishments of national repute rendering services in the AYUSH sector.
   e. Central/ State Govt. Resource Training Center or Institute of Health & Family Welfare capable to undertake AYUSH training in collaboration with an AYUSH teaching institution/hospital.
   f. Institutions/Organizations etc. having expertise and repute in the relevant subject.

3. **Institutions for holding CME for doctors in AYUSH**:
   a. AYUSH National Institutes.
   b. UG colleges permitted by the department under concerned council norms to admit students at least for the last two continuous years.
   c. Central/ State Govt. Resource Training Centre or Institute of Health & Family Welfare capable to undertake AYUSH training in collaboration with an AYUSH teaching institution/hospital.
   d. State AYUSH Directorates capable to undertake District/Sub-Districts level training of AYUSH practitioners/Paramedics/health workers.
   e. Other Institutes/ establishments of national repute rendering services in the AYUSH sector.
   f. Reputed organizations/ associations/ forums working for the promotion of AYUSH systems of medicine like AIAC, NIMA etc.

4. Institutions for preparation and running of peer-review scientific journals in AYUSH as web based programmes:
   a. Government/Private institutions/organizations, universities and deemed universities having competent AYUSH faculty and other technical manpower.

b. Any other Registered Body successfully publishing a Scientific Journal for continuous three years.
c. AYUSH recognised reputed post-graduate teaching/ research institutes engaged in intra mural/ extra mural/ collaborative research.

5. Institutions for holding Orientation Training programmes (OTP) in AYUSH for Non-AYUSH doctors/scientists and Capacity Building Courses

a. AYUSH and other Health Universities
b. National Institutes, University colleges/Ministry of AYUSH
c. Selected PG Institutions.
d. Selected central institutes of research councils.
e. Allopathy institutions having AYUSH Department.
f. AYUSH recognised Institutes, preferably teaching/ research institutes having learned faculty and good audio-video-internet- facilities.

6. Institutions for holding Orientation Training programmes (OTP) in Yoga & Naturopathy for AYUSH & Allopathy doctors:

a. National and government Institutes in Yoga & Naturopathy.
b. Universities with Yoga Department.
c. Private Yoga & / or Naturopathy Institutes, preferably teaching/ research institutes recognized by Ministry of AYUSH and having learned faculty, clinical/ research units.

7. Institutions for holding CME programmes for Yoga/ Naturopathy teachers/ Instructors/ Therapists**.**

a. National and government Institutes in Yoga & Naturopathy.
b. Universities with Yoga Department.
c. Private Yoga & / or Naturopathy Institutes, preferably teaching/ research institutes recognized by Ministry AYUSH and having learned faculty, clinical/ research units.

8. Institutions for holding Management training to AYUSH teachers and doctors:

a. Reputed government/private management institutions with qualified and experienced staff.

9. Institutions for holding 6-day training programme in current trends in R&D, modern scientific advances & technology for scientific understanding and promotion of AYUSH systems and Capacity Building Program for future emerging technologies.

a. Research councils of Ministry of Health & Family Welfare, Ministry of Science and Technology or under any other ministries of Government of India.
b. Renowned Institutes involved in Research and Development activities and having adequate facilities like IITs, IISc, Bangalore etc.
c. Other reputed institutes involved in advance research in basic sciences.

d. Research & Development laboratories in public/private sector having working in Bio-medical or related area or of reputed pharma companies.

Criteria for Resource Persons:

1. CME for Teachers:
   i) Renowned Teacher/ Researcher/ Practitioner holding PG qualification with 10 years of teaching/ clinical/ research experience in AYUSH in concerned subject/ specialty and having good communication skills.
   ii) Preference to those having prestigious publications to his/ her credit.
   iii) In case of Non-Medical subjects, those holding PG qualification with 15 years of experience in the concerned area or Ph.D. with 5 years' experience for Bio-science, Bio-statistics etc.

2. CME for Doctors/OTP in AYUSH for Non-AYUSH doctors & scientist/OTP in Yoga & Naturopathy for AYUSH & Allopathy doctors: Teachers/ private practitioners holding Graduate degree with at least 15 years of clinical experience and eminent in the concerned subject/specialty.

3. ToT: Heads, Professors and Associate professor of National Institutes and Health University, AYUSH colleges, technical officers of Ministry of AYUSH and senior, eminent practitioners of AYUSH.

4. CME for Paramedics and Health Workers/ Instructors/ Therapists: Renowned Teacher/ Researcher/ Practitioner holding PG qualification with 5 years of teaching/ clinical/ research/ nursing experience in AYUSH in concerned subject/ specialty and having good communication skills.

5. Management Training Programme: Qualified and experienced faculty of reputed institutions.
6. 6-day training programme in current trends in R&D, modern scientific advances & technology for scientific understanding and promotion of AYUSH systems:

   Renowned teachers (preferably PG guides)/researchers of ASU and H systems having at least 5 years of teaching/ research experience.

C. Criteria for selection of trainees:

Priority may be given to:

i. Trainee who has attended less number of CME.
ii. Trainee on the basis of seniority in service.

6. **FUNDING PATTERN**

Financial assistance will be provided directly to institutions/ organizations approved by the Project Sanctioning Committee. Funds for a programme will be released to the institute on approval of the proposal as per the following pattern:

(i) 6-days CME for AYUSH Teachers/Doctors/Scientist/Capacity Building Program:

S. N.	Particulars	Admissible Amount
1	Per day boarding & lodging charges of outside trainees (Maximum-7 Days)	Rs.2400 per person
2	Per day boarding charges of local trainees	Rs.350 per person
3	Per day boarding & lodging charges of outside Experts (Maximum 2 days)	Rs.4100 per person
4	Per day boarding charges of local experts	Rs.350 per person
5	Travel expenses of outside trainees	Actual fare or up to the rail fare of AC 2 tier class, whichever is less.
6	Travel expenses of outside experts	Actual fare or up to the rail fare of AC 2 tier class/ Economy Class Air Fare
7	Honorarium to Resource Persons	Rs.2500/- per session
8	Honorarium to support staff of the host institute.	Rs.10000/- to be shared among the involved staff members
9	Training material	Upto Rs.1000 per trainee/ Resource Person
10	Consolidated amount for institutional support	Rs.25,000
11	Consolidated amount for contingencies	Rs.25,000
12	Consolidated amount for consumables in practical demonstrations	Rs.10,000

The Total Provision is limited to **Rs.10.00 lakhs**.

(ii) 6-days CME for Paramedics/ Health workers/ Instructors/ Therapists:

Sl. No	Particulars	Admissible Amount
1	Per day boarding & lodging charges of outside trainees (Maximum-7 Days)	Rs.1550
2	Per day boarding charges of local trainees	Rs.300
3	Per day boarding & lodging charges of outside experts (Maximum 2 days)	Rs.3150
4	Per day boarding charges of local experts	Rs.300
5	Travel expenses of outside trainees	Actual fare or up to the rail fare of AC 3 tier class, whichever is less
6	Travel expenses of outside experts	Actual fare or up to the rail fare of AC 2 tier class/ Economy Class Air Fare.
7	Honorarium to resource persons	Rs.2000 per session
8	Honorarium to support staff of the host institute.	Rs.7000 to be shared among the involved staff members
9	Training material	Upto Rs.500 per trainee/resource person
10	Consolidated amount for institutional support	Rs.15,000
11	Consolidated amount for contingencies	Rs.15000
12	Consolidated amount for consumables in practical demonstrations.	Rs.10,000

The Total Provision is limited to **Rs.7.00 lakhs** per program.

(iii) 6-days Training of Trainers programme (ToT) in AYUSH for eligible resource persons of CMEs:

Host institutions will be supported in the manner applicable to CME programme for AYUSH teachers. Trainees and Resource Persons are allowed to travel by 2AC rail/economy class by Air India at apex fares. Other expenditure will be supported in a manner applicable to CME programme of AYUSH teachers/Doctors/Scientist.

(iv) 3-days/5-days training in Management /IT to AYUSH administrators / heads of departments/institutions:

Financial Assistance upto Rs.10.00 lakhs

The proposals submitted by eligible institutions and the Expenditure projected in the proposal will be subjected to appraisal by Project Appraisal Committee followed by approval of Project Sanctioning Committee. Funds would be released in accordance with the Sanctioning Committee's recommendations. Financial Assistant will be provided in accordance with particulars mentioned in customized CME Programs.

(v) Web-based (on-line) educational programmes/Support to organizations having domain knowledge:

Financial assistance upto Rs.100.00 lakhs for Maximum 2 years

The proposals submitted by eligible institutions and the Expenditure projected in the proposal will be subjected to appraisal by Project Appraisal Committee followed by approval of Project Sanctioning Committee. Funds would be released in accordance with the Sanctioning Committee's recommendations.

Sl. No.	Particulars	Amount (Rs. Lakhs)
1.	**Content Development + Hardware Requirement** (Camera, Computers, laptops, Printers, Scanner, Active Speaker (2 way) type, Microphones and other required essential Hardware/Software etc.) Hardware (Cloud) for storage or Server and Storage procurement Development of Web Portal	Upto Rs.50.00 lakhs
2.	Pre-Production Meetings, Boarding, lodging, TA and Honorarium to the experts.	Upto Rs.10.00 lakhs
3.	Manpower 2 Consultants (IT/Domain Experts) = 50000x12x2=Rs.12,00,000/- 1 Web Developer= 30,000x12x1=Rs.3,60,000/- 1 Office Assistant/DEO = 20000x12x1= Rs.2,40,000/-	Upto Rs.36.00 lakhs
4.	Contingency/Miscellaneous	Upto Rs.4.00 lakhs
	Total	**Rs.100.00 lakhs**

The Total Provision is limited to **Rs.100.00 lakhs** per project.

(vi) Two-days national level Workshops/ Conferences for CME:
Financial Assistance upto Rs.10.00 lakhs

AYUSH National Institutes, AYUSH and other health universities, AYUSH recognised Institutes /organizations having good audio-video-internet-video conferencing-recording & studio facilities along with manpower, expertise in the concerned field will be invited to submit proposals with break-up of expenditure, which will be appraised and sanctioned by the Sanctioning Committee. Financial Assistant will be provided in accordance with particulars mentioned in customized CME Programs.

(vii) Financial assistance to reputed organization/associations/forum working for the promotion of AYUSH system of medicine, having at least 5 years' experience in conducting such trainings, for conducting 2-day subject-/specialty CME for 50 private practitioners:

Sl. No	**PARTICULARS**	**Admissible amount**
1	Working lunch, snacks and tea for two days	700 per trainee per day
2	Honorarium for resource person	Rs.2500/ - per session(Total 8 sessions)
3	Travel expenses of resource persons	Actual fare or up to the rail fare of AC 2 tier class, whichever is less
4	Institutional support	Rs.10,000/ -
5	Contingency	Rs.15,000/ -

The Total provision is limited to Rs.1.50 lakhs per programme.

Staff Requirement for the Scheme

S. N.	
1.	02 Project Managers/Sr. Project Consultant (Technical & Management) (i.e. One having Degree in any AYUSH system and another having Degree of MBA) with minimum 10 year experience with remuneration of Rs.75,000/- p.m. (*The remuneration/revision as per Ministry of AYUSH guidelines for engagement of consultants*).
2.	02 Data Entry Operator (DEO) having Graduate Degree with 03 year experience preferably in Govt. Sector with remuneration of Rs.20000/- (*The remuneration/revision as per Ministry of AYUSH guidelines for engagement of Office Assistant)*
3.	Annual Increment at @ 5% or as per Ministry of AYUSH guidelines.

7. GUIDELINES FOR APPLYING & IMPLEMENTING THE SCHEME COMPOENTS:

Following guidelines shall be followed in supporting the various programmes envisaged under the scheme,

i) Interested institutes may apply providing schedule & details of the programmes to be conducted. Modules of training and list of resource persons along with their qualifications, experience and specialization should be enclosed with the application (Annexure-A).

ii) Minimum 20 participants must be enrolled but not more than 30 in CME for teachers/ doctors/ paramedics training programme. Not more than one trainees from the host institution shall participate in the programme and they will not be entitled for any financial benefit except training material and boarding.

iii) All the practitioners should possess the qualification included in the relevant Medical Acts. In case of Yoga/ Naturopathy, the trainees shall be regular teachers working in universities, reputed institutions and degree colleges and having minimum 3 years of experience on regular basis.

iv) Qualified Paramedics/ instructors/ therapists working in AYUSH institutions/ hospitals/ dispensaries recognized by the Ministry of AYUSH are eligible for related CME.

v) All 6-day CME and other HRD programmes shall be conducted on consecutive six working days.

vi) Financial assistance is limited to RS.10.00 lakhs for a 6-day CME/TOT/OTP. An advance of Rs.9.00 lakhs in 6-day programme will be released and balance after submission of accounts, as per need.

vii) In case of 6-day CME in Paramedicals/ Yoga & Naturopathy personnel (other than teachers), the financial assistance is Rs.7.00. lakhs per program. An advance of Rs.6.00 lakhs will be released and balance after submission of accounts, as per need.

viii) Participation Certificate shall be issued on full attendance only.

ix) Payment of TA & journey DA should be made only at the end of the programme as per scheme admissibility or actuals, whichever is less. In case of resource persons being paid Air Fare, travel by economy class and Air India at apex fare, is only allowed. Persons to utilize senior citizen fare where-ever applicable.

x) Duration of CME program shall be exclusive of journey time.

xi) Trainees shall not be paid any amount except TA and food bills not exceeding Rs.300 during journey. Resource persons are eligible for TA and honorarium.

xiii) In CME programmes for AYUSH doctors, private practitioners can also be included to the extent of not more than 30% of total.

xiv) Conduction of programme should commence within two months after release of grants with preparation of Schedule of the programme and it should be widely circulated well in advance to institutions & State Directorates for nomination of trainees.

xv) National health programmes, experiential knowledge of experts in the field, research findings, current developments, more emphasis on teaching methodology and training modules on improvement of examination system (paper setting, evaluation etc.) in CMEs for teachers & current trends relevant to the theme of CME programme must find place in the modules.

xvi) Resource persons: Twelve experts of concerned specialty (four from same college/State and eight external experts) in 6-day CME/OTP as per the given modules. Experts from Ministry of AYUSH and Research Councils as per their expertise should be called wherever required.

xvii) Trainees are allowed to attend up to two programmes of CME in a year. Every Resource person is allowed to attend a maximum of four CME in a year, and the period of the training program in case of trainees and resource persons is to be treated as on duty and applicable even during CCIM/CCH visits/inspections.

xviii) Trainees/ Resource persons for all types of CME may be taken from any State subject to the condition of limitation of attendance prescribed in a year.

xix) The deputing AYUSH teaching Institutions/Hospitals/State Directorates should utilize the trainees in respective institutions/patient care facilities the skills gained by the participants in CMEs and also through rational deployment in AYUSH facilities.

xx) The Trainees/Resource Person deputed by any Government Institutions/Department will have to submit an undertaking indicating that they will not claim any TA/DA or any other financial benefit from their concerned Institutions/Departments for attending the CME Program, if they are reimbursed from the CME Program.

xxi) The State Governments should sanction grants to such private institutions/ hospitals for equipping necessary infrastructure so that the training given to the AYUSH personnel is put to use.

xxii) Structure of the CME program shall be as under-

(a) There shall be four sessions each day, with each session of 90 minutes. There shall 30 minutes lecture using audio-visual aids and 60 minutes practical demonstration/ hands-on training in each session. Medical officers shall be given hands-on training.

(b) Each external/ internal expert shall deliver two theory/ practical sessions in one day in CME.

(c) Each theory and practical session shall be followed by questions & answers for necessary clarifications/ explanations.

(d) Reading material & copies of the presentations, CDs etc. should be distributed to all participants at the beginning of the programme.

xxiii) Institutions interested to take up CME programmes may design modules and submit the same along with application for approval. The modules shall include assessment of the trainees during the course of the training. In case of pre-structured modules/ package training programmes prepared by Ministry of AYUSH, no prior approval is required.

xxiv) Programme for management training shall be worked out by the host institute(s).

xxv) Institutions willing to conduct web-based training programmes and/or prepare and run CME journals/peer-review journals are required to send proposals with complete technical & financial details indicating the project implementation schedule and timelines.

xxvi) The proposal of innovative initiative should be worked out in all technical & financial details keeping in mind the scope & limitations of the scheme.

xxvii) No expenditure is liable to be reimbursed that has been incurred before the approval of CMEs/sanction of the grant and implementation of the approved program/activity and for other than sanctioned items.

xxviii) Re-appropriation within sanctioned items of expenditure may be done to the extent not more **than 20%.**

xxix) The heads of the institutions/ departments/ organization meet the expenses as per the scheme pattern.

xxx) The institutions/ organizations conducting CME programmes must take photographs of the training programme and submit to RAV along with U.C and other documents.

xxxi) The project Sanctioning Committee may relax eligibility criteria for special category States and UT like North-eastern States, J &K and Andaman & Nicobar and also in other cases on case to case basis on merits.

xxxii) After completion of the CME programme following documents, duly signed by Head of the host institution, may invariably be submitted to Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, Punjabi Bagh (West), New Delhi within one month for liquidation of grant-

(a) Authenticated Utilization Certificate in the prescribed proforma (Annexure - B) to the effect that the grant has been utilized for the purpose for which it was sanctioned; or as per GFR Rules of Govt. of India.

(b) Audited Accounts statement in the prescribed proforma (Annexure-C) reflecting therein the Grant-in-aid and item-by-item expenditure and accrued interest, if any, as per the funding pattern incurred there from;

(c) A certificate that the organization has not received financial assistance for the same purpose from any other Department of the Central or the State Government or any Government/ non-government agency;

(d) Achievement-cum-performance report (Annexure - D) indicating the performance for which the grant was received; the manner in which it has been utilized; and how the grant helped to improve the performance of the participants/ institution;

(e) Feedback report in the proforma (Annexure - E), in separate sealed envelopes, from each of the trainees in case of all training programmes;

(f) A statement showing the names and addresses of the trainees, which should be certified by the Head of the Institute/ College that all the trainees were registered AYUSH practitioners wherever applicable;

(g) A statement showing the names & addresses of the resource persons participated in the programme along with their bio-data showing their qualifications, experience in the subject etc. for their further utilization, as and when required;

(h) Unspent balance of the grant, if any, may be returned to the Ministry of AYUSH in the form of Demand Draft drawn in favour of the Pay and Accounts officer (Scett.), Ministry of Health and Family Welfare, payable in New Delhi;

(i) All original receipts/vouchers may be kept with the organizing institution for a period of 5 years for any audit check.

xxxi) Secretary (AYUSH) in consultation with Financial Adviser shall approve any relaxation in the scheme guidelines on case to case basis on merits.

8. HOW TO APPLY:

Application for seeking grant to conduct Continuing Medical Education Programme for teachers/doctors or other programmes is to be made, in the performa given to any of the below address-

The Director (CME Scheme)
Ministry of AYUSH
Govt. of India
AYUSH Bhawan
B-Block, GPO Complex,
INA, New Delhi-110 023.

The Director
Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth
Dhanwantari Bhawan,
Road No-66, Punjabi Bagh (West)
NEW DELHI-110 026.
Ph. 011-25228548/25229753

E-mail: - ravidyapeethdelhi@gmail.com & cme-ravdl@gov.in

All details regarding CME may be seen at www.ravdelhi.nic.in and www.ayush.gov.in

9. All proposals received under the scheme will be subjected to appraisal by the Project Appraisal Committee (PAC) comprising of senior technical officers of the Ministry of AYUSH headed by Joint Secretary (AYUSH)/Advisor and then submitted for consideration and approval by a Project Sanctioning Committee (PSC) as detailed below: -

PROJECT APPRAISAL COMMITTEE (PAC)

1. Joint Secretary/Advisor (AYUSH) - Chairperson
2. Advisers of concerned System - Member
3. Director in-charge of the Scheme - Member
4. Director, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth - Member Secretary

PROJECT Sanctioning Committee (PSC)

1. Secretary (AYUSH) - Chairperson
2. Additional Secretary & Finance Advisor (FA) or his nominee - Member
3. Joint Secretary/Advisor (AYUSH) - Member
4. Advisers of concerned System - Member
5. Director in-charge of the Scheme - Member
6. Director, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth -Member Secretary

Annexure-A

APPLICATION FOR CME/ OTP/ OTHER PROGRAMME - FOR TEACHERS/DOCTORS/ PARAMEDICS OF AYUSH OR DOCTORS/ SCIENTISTS OF NON-AYUSH SYSTEMS

1.	Name of the Institution	
2.	Address/ Tel. No./ FAX No./ E-Mail	
3.	Nature of the Institution	Govt./Govt. Aided/Private
4.	Documents to be enclosed with the application: A certificate to this effect that the organization has not obtained or applied for grants for the same purpose or activity from any other Ministry or Department of the Government of India or the State Government or any Non-governmental organization	
5.	Additional Documents to be enclosed with the application (for private colleges established under societies Act): Copies of Articles of association bye-laws, audited statement of accounts, sources and pattern of income and expenditure, etc.	
6.	Year of Establishment	
7.	Details of Departments	
8.	Details of faculty in the institution participating in the programme along with qualifications, date of joining and duration of experience in the subject (May attach a separate sheet)	
9.	Past experience of organizing such programmes (Details)	
10.	Details about the previous grants if any under this Scheme (RoTP & CME)	
11.	Whether UCs for the grants received earlier were approved. If yes, copies may be enclosed.	
12.	Whether any other grants under any scheme were received from Ministry of AYUSH, Govt. of India on earlier occasions. If yes, the details thereof. Whether Utilisation Certificate and other requisite documents are pending/due for such grants or sent.	
13.	Number of programmes applied for	
14.	Details of the programmes viz subjects etc	
15.	Amount required with break up (for other than customized CME programmes	
16.	Names of Experts/ Resource persons for conducting the programme with their current posting, date of birth and qualifications and experience in the subject for which they are invited, Tel No., E-mail, Mobile etc. alongwith module of proposed CMEs (may attach separate sheet	

Signature of the Head of the Institution/ Association/ Organisation

Name: _____

Designation_____

Postal address_____

Tel./Fax No. & E-mail_____

Mobile No._____

Annexure - B

UTILIZATION CERTIFICATE

Certified that out of Rs……………… (Rupees ……………………………………. only) of advance of grant-in-aid sanctioned during the year ……............................ in favour of ……………………………………………………............................……., vide Sanction letter No. ………………dated…………………., a sum of Rs………………………………….. (Rupees ……………………................... only) has been utilised for the purpose of holding of CME on ………………………………… for which it was sanctioned.

Certified that we have satisfied ourselves that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that we have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned. The institution has committed no deviation from the scheme.

Kinds of checks exercised

1. Checked the Individual Vouchers.
2. Checked the ledger Account of Expenses.
3. Checked the Cash Book and Bank Book to see that the amounts have actually been paid.
4. Checked the total of the disbursement made.
5. Checked that the payments pertained to the concerned above mentioned programmes.
6. Checked all documentation.
7. Made out a list of payments (as per attached annexure).

This certificate is issued on the basis of books and records produced before us and as per the information and explanations provided to us.

Signature & Seal of Head of the Institution	**Signature & Seal of Chartered Accountant/ Govt. Auditor**
(in ink)	**(in ink)**
Date:	**Date:**
Name:	**Name:**
(In block letters)	**(In block letters)**
	Registration No. of Firm
	Membership No. of the signatory CA

Annexure - C

STATEMENT OF ACCOUNTS

Name of the Institution:

Name of the Programme: CME/OTP/…….. programme

Sanction Order No. & Date:

Dates of the Programme:

Sl. No.	Particulars	Expenditure
1.	Boarding & lodging expenses of outside trainees	
2.	Boarding of Local trainees	
3.	Boarding & lodging expenses of outside experts	
4.	Boarding of local experts	
5.	Travel expenses of trainees	
6.	Travel expenses of outside experts	
7.	Honorarium to resource persons	
8.	Honorarium to support staff of the host institute	
9.	Expenses on Training material	
10.	Consolidated amount for institutional support	
11.	Consolidated amount for contingencies	
12.	Consolidated amount for consumables for practical demonstrations (where-ever applicable)	
	TOTAL	
	Un-utilized grant, if any	

Signature & Seal of Head of the Institution

(in ink)

Date:

Name:

(In block letters)

Signature & Seal of Chartered Accountant/ Govt. Auditor

(in ink)

Date:

Name:

(In block letters)

Registration No. of Firm
Membership No. of the signatory CA

Annexure - D

ACHIEVEMENT-CUM-PERFORMANCE REPORT

This institution was sanctioned one programme of ……. days CME of teacher/CME for doctors/ Management programme in the subject of ……….......................……….held on

………………………. during the year …………………. A grant of Rs. ………………….

(Rupees…………………………………..) was sanctioned and released by Ministry of AYUSH, Government of India through demand draft No. ……………………. dated …………….. drawn on Bank of Baroda vide letter no. ……………………………. dated…………………….Out of the advance, an amount of Rs.………………….. (Rupees…………………...........…………..) has been utilized the purpose for which it was sanctioned leaving a balance amount of Rs.……………………… (Rupees ………………………………) which was sent through a demand draft No. …………………. dated ……………. Proper procedure was followed as per the prescribed guidelines in making payments.

Outcome of the programme in terms of achievement-cum-performance are:

1. The manner in which it has been utilized: -
2. How the grant helped to improve the performance of the participants/institution.

Signature & Seal
(Head of the Institution)

Annexure - E

CONFIDENTIAL

FEED-BACK

(To be filled by the trainee during the Training Programme and given to Organizing Institution at the end in a sealed envelope)

S. No.	Particulars	
1.	Name & Address of the Institution:	
2.	Name of the Training programme	
3.	Duration of the Training Programme	From To
4.	Number of trainees attended	
5.	Usefulness of the programme	Very Useful/Useful/Not relevant
6.	Infrastructure available in the Institution: (in the concerned department of in which CME is conducted):	
7.	Venue of the programme (details of Hall, Ventilation, Lighting etc):	
8.	Use of Audio -visual aids, whether sufficient	
9.	Whether time schedule followed	
10.	Whether practical demonstrations conducted /hands- on training provided (where so ever applicable):	
11.	**Assessment of Resource Persons**	

S. N.	Name of Faculty/ Resource Persons	Relevance of the Topic & Subject matter	Quality of delivery/ Presentation Scores (0-10)	Applicability	Any new information given	Overall assessment of the Faculty Scores (0-10)
i)						
ii)						
iii)						
iv)						
v)						
vi)						
vii)						
viii)						
ix)						
x)						
xi)						
xii)						

Any specific comments/ suggestions on faculty, presentations etc.:	
12. Facilities for stay and other amenities	
13. Shortcomings, if any:	
14. Any suggestions to be incorporated for future training programme	
15. Overall assessment of course/programme (Excellent/Very Good/ Good/Average /Poor):	
16. knowledge has enhanced after attending the programme	Yes/No.

Signature of the Trainee……………………….
Name …………………………………………..
Full Postal Address…………………………….
…………………..………………………….
……………………………………………
E-mail: ………………………………………..
Phone/Mobile: ……………………………….

Note: Any trainee may send in addition to submitting a copy of filled in Feedback Form to theorganizing institution, any comment/suggestion directly to the Director, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, Dhanvantari Bhawan, Road No.66, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110026 by post or by E-mail to: ravidyapeethdelhi@gmail.com

Annexure – F

AGENCY REGISTRATION FORM

1	Type of Registration:	
	1. Central Government 2. Central Government PSUs 3. State Government PSUs 4. Statutory Bodies 5. Local Bodies 6. Trusts 7. Registered Societies (NGOs) 8. Private Sector companies 9. Registered Societies (Govt. Auto. Bodies) 10. Individuals 11. International Organizations.	
2	Name of Organization:	
3	Date of Registration (DD/MM/YYYY):-	
4	Number or Act of Registration:-	
5	Registering Authority:	
6	State of Registration (Name of the State):	
7	TIN/TAN No.:	
8	Address Line 1: Address Line 2: Address Line 3:	
9	City:	
10	State:	
11	District:	
12	Pin Code:	
13	Contact Person: Director / Dean / Principal / Any other (Specify)	
14	Name of the Contact Person:-	
15	Phone:	
16	Mobile No.:	
17	Fax:	
18	Email:	
19	Unique Agency Code:	
20	Scheme:	
21	Name of Bank (Specify):	
22	Address:	
23	Branch:	
24	Account No.	
25	Organization Name as per Bank	
26	MICR Code:	

Signature of Principal/ Director/Dean with seal

Annexure – G

Check List
(Details required on submission of Utilization Certificate)

Sl. No.	Documents		
		Yes	No
1	**Authenticated Utilization Certificate as per Performa**		
a	Sanction Number & date		
b	Membership No. of Charted Accountant		
c	Signature of head of the Institute & Charted Accountant/Govt. Auditor		
d	Date of Programme		
2	**Statement of Account**		
a	Boarding & Lodging for trainees		
b	Boarding & Lodging for Resource persons		
c	Honorarium for Resource persons		
d	Honorarium for supporting staff		
e	Training Materials		
f	Consolidated amount for institutional support		
g	Consolidated amount for contingencies		
h	Consolidated amount for consumables in practical demonstrations		
i	Quality Audio-Video recording of lectures		
j	Signature of head of the institution & Chartered Accountant/Govt. Auditor		
3	**A certificate that the organization has not received financial assistance for the same purpose from any other Department of the Central or the State Government or any Government agency (duly signed by the Head of the Department/Institute)**		
4	**Achievement-cum-performance report (duly signed by the Head of the Department/Institute)**		
5	**Feedback reports as per format attached**		
6.a	**A statement showing the name and address of the trainee (duly signed by the Head of the Department/Institute)**		
6.b	**Certificate by the institute that all the trainees are registered under CCIM/CCH (duly signed by the Head of the Department/Institute)**		
7	**List of Resource Persons with address certified by head of institute (duly signed by the Head of the Department/Institute)**		
8	**Study material, hard copies and CDs given to trainees (duly signed by the Head of the Department/Institute)**		
9	**Certificate that all payment are made on production of the original tickets (duly signed by the Head of the Department/Institute)**		
10	**Unspent balance of the grant, if any, may be returned to the Ministry of AYUSH in the form of Demand Draft drawn in favour of the Accounts officer, Cash (Health) payable at New Delhi**		